अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष-39, अंक-13, 16-29 फरवरी, 2016

धैर्य जरूरी

❑ महात्मा गांधी

अगर आप मानते हों कि मेरी अन्तरात्मा के माध्यम से ईश्वर मुझसे जो कुछ कहता है, आपसे मैं वही कहता हूँ तो आप मेहरबानी करके मुझे यह भरोसा दिलायें कि अगर सरकार मुझे सजा दे तो भी आप अपना गुस्सा पी जायेंगे, उसका विस्फोट नहीं होने देंगे, बल्कि सरकार से बुलन्द आवाज में यह कहेंगे कि चाहे हमें फाँसी दो या जेल, आपको हमारा सहयोग नहीं मिल सकता; आपको हमारा सहयोग जेल में मिलेगा, फाँसी के तख्ते पर मिलेगा, लेकिन फौजी रिसालों में नहीं, विधान सभाओं में नहीं; और न किसी सरकारी महकमे में।....

इस शिक्षा के लिए शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं है और न कोई खास इल्म सीखने की जरूरत है। इसके लिए शौकत अली जैसा शरीर भी नहीं चाहिए। इसके लिए बस एक ही तत्त्व को जानना जरूरी है—धैर्य को। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको ऐसी प्रेरणा दे, ऐसी शक्ति दे कि हिन्दुस्तान और सब कुछ भूलकर इस काम को अपने हाथ में ले ले। अगर हम इसे साध लें तो हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के प्रेम के गुलाम बनकर रहेंगे और वे दुनिया को यह हुक्म दे सकने की स्थिति में होंगे कि बेईमानी और अन्याय बन्द करें।

(नवजीवन, 15.8.1920)

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक
वर्ष : 39, अंक : 13, 16-29 फरवरी, 2016

संपादक
बिमल कुमार
मो. : 9235772595

कार्यकारी संपादक
डॉ.योगेन्द्र यादव

संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ, साधना केन्द्र
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

मूल्य	:	पांच रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310
IFSC No. UBIN-0538353
Union Bank of India

विज्ञापन दर
पूरा पृष्ठ : 2000 रुपये
आधा पृष्ठ : 1000 रुपये
चौथाई पृष्ठ : 500 रुपये

इस अंक में...

1. संपादकीय... 2
2. पंचयात नहीं, ग्रामसभा.... 3
3. सहिष्णुता ही नहीं, एकात्मभाव.... 5
4. 'इतिहास' पूरा सच नहीं... 9
5. रचनात्मकता का नया नगर.... 10
6. सागर की लहरें... 12
7. विचारधाराओं का वर्चस्व... 13
8. गाँवों को लीलती आपदाएँ... 14
9. विश्व-प्रेरणा गांधी 15
10. गांधी-विनोबा की राह पर... 16
11. उदररोग मदाग्नि से होते हैं... 17
12. सर्वोदय बुक स्टाल की बैठक सम्पन्न 19
13. बा की पुण्यतिथि.... 20

सम्पादकीय

होली और सत्याग्रह

अभी-अभी हम होली का त्यौहार मनाकर एक बार फिर रोजमर्रा के कामों पर लौटे हैं, नयी उमंग, नये संकल्प के साथ। दरअसल त्यौहार जहाँ एक ओर हमारी संस्कृति एवं सामाजिक धरोहर का ज्ञान कराते हैं, वहीं दूसरी ओर त्यौहार मनाने के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालते हैं। इन सभी त्यौहारों से जो आख्यान संबंधित हैं, उन्हें फिर ताजा कर देते हैं। उस पर नये सिरे से समसामयिक आधार पर सोचने को मजबूर कर देते हैं। मसलन करीब पिछले चार वर्षों से देश में अकाल की स्थिति है। या तो बारिश ही नहीं हुई या इतनी कम हुई कि खेती की जरूरत की बात तो छोड़िये, जानवरों एवं खुद लोगों के सामने पानी का संकट पैदा हो गया है। इसी कारण कुछ प्रदेशों में खास कर शहरी क्षेत्रों में सूखी होली मानायी गयी। यानी लोगों ने रंग से होली न खेलकर अबीर और गुलाल से होली खेली। यह एक शुभ संकेत है जो परिवर्तन आज समाज में परिलक्षित हो रहा है, इसका संकेत महात्मा गांधी ने बहुत पहले दे दिया था। उन्होंने तत्कालीन जल की स्वामिनी साबरमती से सिर्फ एक लोटा जल उपयोग कर यह संकेत दिया, लेकिन हमने उनके इस प्रयोग को उस समय नहीं अपनाया, जिसके कारण ही आज जल संकट गहरा गया है। खैर, देर आये दुरुस्त आये। यदि अब भी हम अपने बच्चों या आनेवाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जरूरत के मुताबिक जल उपयोग में लाना शुरू कर दें तो निश्चित ही यह महात्मा गांधी की होली मिलन की शुभकामना होगी।

महात्मा गांधी होली त्यौहार के दूसरे पहलू के कारण अधिक तवज्जो देते थे। वह कारण सामाजिक समरसता का था। इस त्यौहार की शुरुआत के समय समाज में छुआछूत चरम पर था। लोग एक-दूसरे को छूने, साथ बैठने की बात तो छोड़ दीजिये, परछाईं से भी परहेज करते थे। महात्मा गांधी ने बचपन में इसका खूब अनुभव किया था, जब वे अपने दलित मित्र उका को छू देते थे या उसके साथ खेलते थे तो उन्हें उनकी माँ जबरदस्ती नहलाती थीं। इस कारण उन्होंने आजीवन अछूतोद्धार पर काम किया। अछूतोद्धार के वे बीच इस होली त्यौहार में भी दिखाई पड़ते हैं। हिन्दू संस्कृति में केवल यही एक ऐसा त्यौहार था, जब कोई दलित महिला भी अपने गाँव में कथा कहनेवाले पंडितजी के ऊपर तत्कालीन परम्पराओं के अनुरूप गोबरयुक्त गोबर फेंक देती थीं। यानी होली के दिन छूआछूत की लक्ष्मण रेखा थोड़ी धुँधली हो जाती थी।

–डॉ. योगेन्द्र यादव

कार्यसमिति बैठक की सूचना

सर्व सेवा संघ कार्य समिति की अगली बैठक दिनांक 12-13 जुलाई, 2016 को कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में सुबह 10 बजे से प्रारम्भ होगी। यह सूचना मेल विज्ञप्ति के माध्यम से सर्व सेवा संघ के महामंत्री शेख हुसैन ने दी है।

विरासत

पंचायत नहीं, ग्रामसभा

❑ विनोबा भावे

हिंदी में 'पंचायत' का अर्थ 'पाँच बोले परमेश्वर' माना जाता है। बीच में जमाने की पंचायतें उच्च वर्गों के हाथ में रहीं। लेकिन गांधीजी ने आखिर-आखिर में पंचायत का जो विचार पेश किया, वह उच्चवर्गीय पंचायत का नहीं, बल्कि सार्वजनिक पंचायत का था। इस माने में 'पंचायत' शब्द का मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में प्रसिद्ध झगड़ा-झमेले का अर्थ कदापि नहीं है।

विकेंद्रित शोषण-योजना

कहते हैं कि देश में अब पंचायतराज आया है, उससे ग्रामस्वराज्य सिद्ध होगा। लेकिन यह निराभ्रम है।

पंचायतराज का लक्ष्य है, राज्य का विकेंद्रीकरण। दिल्ली में राज्यकेंद्रित है, उसका कुछ हिस्सा लखनऊ में आया और कुछ हिस्सा वाराणसी में और कुछ हिस्सा गाँवों की पंचायतों तक आया। दिल्ली की सत्ता का इस प्रकार बँटवारा हुआ। इस पद्धति से सरकार ने गाँवों तक ग्रामस्वराज्य पहुँचाने का प्रयत्न किया।

लेकिन यह सभी जानते हैं कि पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे, तो भी वह मक्खन नहीं बनेगा, पत्थर ही रहनेवाला है। उसी प्रकार केंद्रित सत्ता के चाहे जितने टुकड़े करेंगे, तो भी वह केंद्रित सत्ता ही रहनेवाली है। इसको मैंने 'मत्सर का राष्ट्रीयकरण' कहा है।

पुराने जमाने में यह मत्सर सरदारों के बीच रहता था। आज दिल्ली से लेकर गाँव तक सबको मत्सर करने का हक हासिल हो गया है। इस हालत में केंद्र की ओर से जो ग्रामपंचायत बनती है, वह मत्सर की प्रतिनिधि बनकर आती है, सेवा की नहीं। यह बात हमारी समझ में आनी चाहिए।

जब तक प्रेम के आधार पर ग्रामसभा नहीं बनती, तब तक विकेंद्रित अहिंसक व्यवस्था स्थापित करने की अपेक्षा पूरी नहीं हो सकती। पंचायतराज को मैंने दूसरा भी एक नाम दिया है–'विकेंद्रित शोषण-योजना'। केवल एक केंद्र से शोषण करना चाहें, तो वह पूरी क्षमता के साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए सक्षम विकेंद्रित शोषण के हेतु से पंचायतीराज की योजना बनी। लेकिन इस प्रकार पंचायतें सत्ता या मत्सर के अधीन हो गयीं, तो निश्चित ही पूरा-का-पूरा समाज-शरीर जर्जर हो जायेगा। इच्छा तो वैसी नहीं है, लेकिन परिणम तो हेतु से विपरीत आ रहा है और भारत का शरीर नखशिखांत दूषित हो रहा है।

ग्रामपंचायत के दोष

आज की ग्रामपंचायत में 8-10 तक गाँव आ जाते हैं। वह सत्ता के आधार पर बनी हुई है, प्रेम के आधार पर नहीं, इसलिए हरएक गाँववाले अपनी-अपनी दिशा में खीचेंगे। इस तरह ग्रामपंचायत एक झगड़े का स्थान बन सकती है। यह मैं कल्पना से नहीं कहता हूँ। सारे भारत का मुझे दर्शन है। पंचायत केवल सत्ता के जरिये बनायी गयी है। उसमें बहुमत से सब काम होगा। ऐसी हालत में सब अपनी तरफ बहुमत करने की कोशिश में रहते हैं। इसलिए हर गाँव में झगड़े पैदा होते हैं।

आजकल जो ग्रामपंचायतें चलती हैं, उनका त्रिदोष बताता हूँ। एक दोष है–बहुमत का राज, जिसके कारण पार्टियों की उसमें घुसपैठ होती है और वे झगड़े का अखाड़ा बन जाती हैं। दूसरा दोष, एक-एक गाँव का जो विशिष्ट व्यक्तित्व (इंडिविज्युअल पर्सनालिटी) है, उसका उसमें भान नहीं है। तीसरा दोष है–वह सेवा से नहीं बनी है; सत्ता से बनी हुई है। इनको मैंने 'त्रिदोष' नाम दिया है। त्रिदोष का परिणाम सन्निपात होता है। आज की ग्रामपंचायतों को सन्निपात हुआ है।

जहाँ अधिकार कम होते हैं, वहाँ तनाव और खिंचाव होता है। पूरे अधिकार तो पंचायत को है नहीं, थोड़ा-सा अधिकार है। जहाँ थोड़ा अधिकार होता है, वहाँ जिम्मेवारी तो होती नहीं! पूरा अधिकार होता है, तो एकता जल्दी आ जाती है। पूरे अधिकार का दुरुपयोग होने की संभावना कम होती है, लेकिन अधूरे अधिकार का दुरुपयोग होने की संभावना ज्यादा होती है।

हम चाहते हैं कि शक्ति का वितरण उत्तरोत्तर लोगों में होना चाहिए। सरकार कहती है, पंचायतों के हाथों में हम अधिकार देना चाहते हैं। हम कहते हैं, आप कौन होते हैं जो ऊपर से अधिकार देंगे? जनता खुद जो अधिकार चाहे, ले ले। इसीलिए हमारी माँग है कि लोग अपनी शक्ति बढ़ायें।

इसलिए हम सुझा रहे हैं कि प्रेम से ग्रामसभा (गाँव के सभी वयस्क स्त्री-पुरुषों की सभा) बने और उससे ग्रामों का उत्थान हो। उसमें सरकार की मदद लेना मना नहीं है। सरकार की मदद ले सकते हैं, दूसरों की भी मदद ले सकते हैं। लेकिन यह सारा नीचे के स्तर पर, ग्राम के आधार पर और प्रेमपूर्वक होना चाहिए।

ग्रामपंचायतें एकमत से चुनी जानी चाहिए, दलीय निर्वाचन के आधार पर कभी नहीं। वहाँ एक ही वाद चले–ग्रामवाद। अन्य किसी वाद से हमारा कभी कल्याण न होगा।

अगर आज की चुनाव पद्धति से गाँव में दल बन जाते हैं, तो निश्चय ही गाँव का सर्वनाश हो जाएगा।

ग्रामपंचायतों को चाहिए कि ग्रामसेवक सभा का रूप धारण करें। वे कभी शासक न बनें। ग्रामपंचायतें चुनी जाने के बाद समझें कि हम परमात्मा के सामने बैठे हुए हैं। ग्रामपंचायत की सभा में हमें ईश्वर को साक्षी बनाना चाहिए।

मैंने दो शब्द बनाये हैं–एक है 'सत्ता-संस्था' दूसरी है 'सेवा-संस्था'। मेरा कहना यह है कि सारी सत्ता-संस्थाओं को सेवा-संस्था में बदल जाना चाहिए। यद्यपि सत्तावाले भी सेवा का दावा करते हैं, तथापित उनकी सेवा पर सत्ता का रंग है। इसलिए उनके द्वारा जो सेवा होती है, उससे लोकशक्ति नहीं बढ़ सकती।

आज सारा लोकजीवन ऊपर से, केंद्र से नियंत्रित है। इसलिए सभी लोग वहाँ की सत्ता हाथ में लेना चाहते हैं। वहाँ राजनैतिक पक्ष बन गये हैं और वे फिर झगड़े के अखाड़े बन जाते हैं। आज वही सत्ता का स्थान है। पंचायतीराज के रूप में वह सत्ता नीचे तक विकेंद्रित कर दी गयी है।

ग्रामसभा बनाम पंचायत

इसलिए हर गाँव में ग्रामसभा बने। ग्रामसभा की तरफ से सर्वसम्मति से एक ग्राम-समिति या पंचायत चुनी जाय, जो सेवा करेगी। उसके हाथ में सेवा का ही अधिकार होगा, बाकी सारा अधिकार ग्रामसभा के हाथ में रहेगा, जिसमें छोटा-बड़ा कोई भेद ही नहीं रहेगा।

लोग कहते हैं कि ग्रामसभा में सत्ता किसकी आयेगी? हमने कहा है कि पंचायत का जो अनुभव है, उस आधार पर गाँवसभा की ओर मत देखिए। पंचायत में क्या है? चार-पाँच गाँव मिलकर एक पंचायत होती है, लेकिन ग्रामसभा तो हरएक गाँव की अपनी-अपनी होगी। दूसरा फर्क, पंचायतों में बहुमत से फैसला होता है, खींचातानी चलती है। बहुमत और अल्पमतवालों में द्वेष शुरू होता है। उसमें वे ही मुखिया चुने जाते हैं, जिनके पास कुछ जमीन या संपत्ति है, जिन्हें कुछ तालीम मिली है या जिनका सरकार से कुछ संबंध है या अधिकारियों पर कुछ वजन है। इस तरह सारी विषमता कायम रखते हुए, जिनके हाथ में पहले से ही बहुत सत्ता है, उनके हाथों और सत्ता दी जाती है। ग्रामसभा में सर्वसम्मति से फैसला होगा। छोटे-बड़े सारे इकट्ठा बैठेंगे और बैठकर चर्चा करके तय करेंगे। तीसरा फर्क यह कि ग्रामपंचायत में टैक्स की बात है, यहाँ तो प्रेम की और दान की बात है। इसलिए इसका आधार प्रेम का है और उसका आधार बेबसी का है। तो कितना बड़ा फर्क पड़ गया? इस तरह ध्यान में आयेगा कि प्रेम के आधार पर बनी पंचायत, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। पंचायत में झगड़े न हों, तो आश्चर्य की बात है! लेकिन यहाँ झगड़े का सवाल है ही नहीं; सब मिलकर इकट्ठा ही काम करेंगे।

दूसरी बात—पंचायत की सभा महीने-भर में एकाध दफा होगी। लेकिन यहाँ तो आप जब चाहें, घंटी बजाकर लोगों को सूचित कर दें कि रात को सभा होनेवाली है, सब लोग आ जाइये। चाहे तो आप हफ्ते में एक दफा या दो दफे मिल सकते हैं। आपकी मर्जी की बात है। लेकिन वहाँ क्या है? महीने भर में एक सभा; और उनके हाथ में क्या है? ग्रामसभा के हाथ में तो सब कुछ है।

तीसरी बात—ग्रामसभा में ऊँच-नीच का भेदभाव एकदम खत्म हो जाता है। उस सभा में क्या होगा? रामचर्चा और ग्रामचर्चा। तुलसीदासजी ने कहा– *'गाँव-गाँव अस होइ अनंदू'*–रामराज्य में हर गाँव में आनंद हो रहा है। हमको गाँव में ऐसा आनंद करना है कि– *'बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई'*। किसी का किसी के साथ बैर नहीं होना चाहिए और सामाजिक ऊँच-नीच की विषमता मिटनी चाहिए।

ग्रामस्वराज्य के दो लक्षण तुलसीदासजी ने बताये। बहुत उम्दा लक्षण हैं। तुलसीदासजी ने बिलकुल अद्यतन अर्थशास्त्र और आधुनिकतम राजनीतिशास्त्र का विचार रख दिया है। ग्रामस्वराज्य का लक्षण है—किसी का किसी के साथ बैर नहीं, यानी सबका एक-दूसरे पर प्यार हो। यह एक बात। दूसरी बात—रामजी के प्रताप से विषमता खोयी। आर्थिक विषमता भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक बड़ा मालिक, दूसरा छोटा मालिक और कोई बिलकुल भूमिहीन। तुलसीदासजी ने कहा है कि विषमता हमें घटाते-घटाते मिटानी है और परस्पर पूरा प्रेम करना है। इससे गाँव-गाँव में स्वराज्य का सच्चा उदय होगा।

गाँव में जब एक समाज बनेगा, तब पंचायत का आज का दोष ग्रामसभा में नहीं रहेगा। इसी में समाज का, सब लोगों का उत्थान है। ('ग्रामस्वराज्य' से)

स्वतंत्रता आकाशदीप

स्वतंत्रता मेरे जीवन का एक आकाशदीप बनी, जो आज तक वैसी ही बनी हुई है। कालान्तर में वह स्वतंत्रता अपने देश की स्वतंत्रता मात्र के भाव का अतिक्रमण करके मनुष्य की सब जगह और सब प्रकार के बन्धनों से मुक्ति ही नहीं, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर मानवीय व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता की अर्थदात्री बन गयी। यह स्वतंत्रता मेरे जीवन की एक निष्ठा बन गयी है। मैं रोटी के लिए, सत्ता के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, राज्य की प्रतिष्ठा के लिए या किसी अन्य वस्तु के लिए इसके साथ समझौता नहीं कर सकता।

–जयप्रकाश नारायण

सहिष्णुता ही नहीं, एकात्मभाव

❑ न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी

'सहिष्णुता' शब्द ही अपने आप में 'अर्थपूर्ण' या 'अर्थवाही' होने के बावजूद अस्वीकार्य चीज भी बरदाश्त करने की वृत्ति, यानी सहनशीलता या सहिष्णुता, ऐसा उसका सीधा-सादा अर्थ है और वह एक भावना और वृत्ति है। अंग्रेजी में इस संदर्भ में कहा जाता है कि "You tolerate something, which you don't like." (जो बात आपको पसंद नहीं है, उसे आप सहन कर लिया करते हैं।) यह वृत्ति या भावना ही नकारात्मक है। इसलिए इस वृत्ति का विलोम किसी भी कारण से पनप सकता है। मतलब, असहिष्णुता के लिए कोई भी कारण पर्याप्त है। इतना ही नहीं, वह स्वतःस्फूर्त भी हो सकती है। इसका अधिष्ठान भाषा, धर्म, जाति, उपजाति, प्रादेशिकता, वर्ग आदि सभी में समाया हुआ है। इतना ही नहीं, इसके कई नये कारण भी ढूँढ़ लिये जाते हैं। जिस समाज के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व-भावना नहीं होती और पारस्परिकता का अभाव होता है, वहाँ यह भावना आग की तरह फैलती है। आज यह सुनामी या आग, धर्म के नाम पर फैल रही है। मराठी के सुप्रसिद्ध कवि कुसुमाग्रजजी ने लिखा है कि "धर्म का ध्वज जब धर्मान्ध शक्तियों के कंधे पर रखा जाता है, तब उसके परिणामस्वरूप जो खून बहता है, वह हमेशा उसी धर्म का होता है।" आज 'धर्म' पालने वाले तो 'सज्जन' होते हैं, लेकिन उसके संरक्षण की जिम्मेदारी धर्मांध दुर्जनों पर या गुंडों को सौंपी गयी है। यही 'धर्म' संकल्पना की सबसे बड़ी शोकांतिका है।

'धर्म' शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया, लेकिन इसका अर्थ या इसकी व्याख्या नहीं की गयी। इस शब्द की व्याप्ति भी अस्पष्ट और धुँधली ही रही है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी यह प्रश्न कई बार आया, लेकिन इसकी स्पष्टता नहीं हो सकी। योगी अरविन्द के विचारों में विश्वास करने वाले अनुयायियों ने 'ओरोविल' नगर बसाने का निर्णय किया। इसका अनुशीलन या संयोजन ठीक से हो, इसलिए सरकार ने एक कानून बनाया। उसे न्यायालय में चुनौती दी गयी। इस संदर्भ में निर्णय देते समय सर्वोच्च न्यायालय में 'धर्म' संज्ञा की व्याप्ति का विचार करते समय यह स्पष्ट किया कि 'धर्म' की कोई तयशुदा व्याख्या संविधान में नहीं है। इस विशाल देश में जाने-माने कुछ धर्मों के अलावा ऐसे भी कई धर्म हैं, जिन्हें लोग जानते तक नहीं। वे किसी विशिष्ट क्षेत्र में मर्यादित हैं। ऐसे भी धर्म हैं, जो रूढ़ अर्थ में भगवान या मूर्ति को नहीं मानते। इसलिए इसकी व्याख्या व्याप्ति दृढ़ता या निश्चित रूप में नहीं बतायी जा सकती, इसी निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय को भी पहुँचना पड़ा। अंत में सर्वोच्च न्यायालय यह कहकर रुक गया—

"तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना,
नेका ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम्।
धर्मस्च तत्त्वं निहितं गुहायां,
महाजनो येन गतः स पन्थाः।"

अब यह 'महाजन' कौन, यह भी प्रश्न ही है।

इस सन्दर्भ में हमें यह भी जान लेना चाहिए कि 'सेक्युलर' लोकतंत्र या प्रजातंत्र की कल्पना या भावना हमने किसी अन्य देश से उधार नहीं ली है। आजादी के आंदोलन में जो आकांक्षाएँ जाग्रत हुईं, उन्हींका यह परिपाक है। क्रान्ति या संविधान कभी उधार नहीं लिया जा सकता। शब्दों के पीछे की भावना या अर्थ का ही अधिक महत्त्व होता है। हमारे आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने सर्वधर्मसमभाव की भावना जगायी। पाकिस्तान बना, तब भी गांधीजी ने कहा था कि "धर्माश्रित राष्ट्र भावना मुझे मंजूर नहीं है। दो भिन्न धर्मी लोग एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा सिद्धान्त मुझे मंजूर नहीं है। वह अमानवीय है।"

'जय जगत' मंत्र के सर्जक ऋषि विनोबा का तो यह कहना था : "मैं हिन्दू हूँ" यह कहना सही है, लेकिन 'मैं मुसलमान नहीं हूँ' यह कहना गलत होगा। मैं हिन्दुस्तान में रहता हूँ यह सही है; तो भी इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि 'मैं तुर्कस्तान में नहीं रहता।' मैं जिस जगत में रहता हूँ, तुर्कस्तान भी उसी का एक अंग है; इसलिए मैं तुर्कस्तान में भी रहता तो हूँ लेकिन जिम्मेदारी उठाने की मेरी शक्ति अल्प है, इसलिए मैं अपने-आपको हिन्दुस्तानी कहता हूँ, केवल इतनी-सी बात है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो मैं हिन्दुस्तान में भी कहाँ रहता हूँ? हिन्दुस्तान के किसी एक प्रांत के, किसी एक गाँव में, किसी एक घर में, किसी एक शरीर के एक छोटे-से हृदय में, या कहो कि 'स्व' में रहता हूँ। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य की मर्यादित शक्ति के अनुसार वह अपने लिए जो धर्म स्वीकार करता है, उस धर्म का पालन करते हुए उसमें दूसरे धर्मों के लिए भी गुंजाइश रखने की सहिष्णुता होनी चाहिए। उसे दर्शनकारों ने 'समन्वय' कहा है।"

आजादी के आंदोलन में से ही 'प्रौढ़ मतदान' का विचार सामने आया। हरएक वयस्क या बालिक व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग आदि से निरपेक्ष मतदान का अधिकार रहेगा और हर वोट या मत का मूल्य समान माना जाएगा, यही संविधान की

योजना है। व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास करने वाला हो, किसी भी प्रदेश या शहर का रहनेवाला हो, वह सिर्फ 'भारतीय नागरिक' है। अखिल भारतीय नागरिकता हमने मान्य की है। हर नागरिक का समान अधिकार भी हमने माना है। इस तरह व्यक्तिगत तथा राजनीतिक अधिकारों की समानता तथा एक ही नागरिकता मान लेने के बाद प्रौढ़ मतदान पर आधारित लोकतंत्र या प्रजातंत्र 'सेक्युलर' ही हो सकता है, यह निर्विवाद होना चाहिए। वरना यह नागरिकता 'आभास' भर रह जाएगी। प्रजातंत्र या लोकतंत्र बहुमत पर आधारित है, बहुसंख्या पर नहीं। मत परिवर्तनीय है; संख्या अपरिवर्तनीय है। अल्पमत जहाँ सुरक्षित और स्वरक्षित होता है, वहीं प्रजातंत्र पनप सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अधिकार का अधिष्ठान धर्म हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति का एक ही वोट होता है, जो वह स्वयं देता है। हर वोट का मूल्य भी समान है। ऐसे में 'वोट बैंक' या सामुदायिक मतदान की प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है। यह हमें समझ लेना चाहिए।

यह 'सेक्युलरिज्म' 'सूडो' या छद्मी हो सकता है क्या? इस पर गहराई से सोचना होगा। संविधान को यह मंजूर नहीं है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम सम्प्रदायवाद की देन है, तो उसका जवाब हिन्दू प्रतिसम्प्रदायवाद से नहीं दिया जा सकता। साम्प्रदायिक समन्वय की दृष्टि से गांधीजी ने हमें सर्वधर्मसमभाव या समन्वय के मुकाम पर पहुँचाया। अब तो साम्प्रदायिक धर्म के दिन लद चुके हैं। धर्म जब व्यावर्तक हो जाता है, तब वह अधर्म या सम्प्रदाय बन जाता है। जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, वह धर्म है; और जो तोड़ता है वह अधर्म है। जैसे हम वर्ग-निराकरण, जाति-निराकरण चाहते हैं, वैसे ही सम्प्रदाय-निराकरण, धर्म-निराकरण भी करना होगा। अगर सब धर्म समान हैं तो यह मानना होगा कि धर्म-परिवर्तन संविधान के प्रतिकूल है। धर्मान्तरण को गैरकानूनी करार देना चाहिए। धर्म में जब असहिष्णुता आ जाती है तो कलह का प्रवेश होता है, जिसका नतीजा धर्मान्तरण है। वैसे भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जबरदस्ती, प्रलोभन, कपट या धोखाधड़ी से धर्मान्तरण करने का अधिकार निहित नहीं है। ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में सन् 1977 में 'करेंट सेनीसलस विरूद्ध स्टेट ऑफ ओरिसा एन्ड मध्य प्रदेश' इस केस में घोषित कर दिया है। प्रचलित अर्थ में धर्म अध्यात्म भी नहीं है; क्योंकि सभी धर्मों के लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं। इसका नैतिकता से भी सम्बन्ध नहीं है, और न ही ईश्वर-परायणता से। अध्यात्म, ईश्वर और नैतिकता तो सभी धर्मों में होते हैं। संगठित धर्म तो अधर्म ही है। संगठित धर्म यानी सम्प्रदाय। सम्प्रदाय में संख्या मुख्य है। जो सम्प्रदाय या पंथ को नागरिकता का आधार मानता है, वह जमातवादी है। ऐसे लोग धर्मान्धता बढ़ाते हैं। मन्दिरवाद, मस्जिदवाद और गिरजाघरवाद ने मनुष्यों को अलग कर दिया है। सर्वधर्म अभाव, सर्वधर्म ममभाव, सर्वधर्म समानत्व, ये सीढ़ियाँ हैं। वैज्ञानिक युग में बहुवचन में धर्म नहीं रहेगा, उपासना भले ही रहेगी; धार्मिक जबरदस्ती तो रह ही नहीं सकेगी।

इसीलिए संविधान ने माना कि 'कॉमन सिविल कोड' अर्थात् समान व्यवहार संहिता होनी चाहिए। गलतफहमी यह हो रही है कि बहुसंख्यक हिन्दुओं का हिन्दू कोड ही कॉमन सिविल कोड बनेगा। यह अपसिद्धान्त है। अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें और बहुसंख्यक की तानाशाही से बचें, ऐसी योजना करना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र प्राणदायी हो सकता है। अल्पमत का आदर और उनकी अस्मिता का संरक्षण लोकतंत्र में निहित है। आज नागरिक और नागरिकता बँट रहे हैं। बहुसंख्यकों की तथाकथित अस्मिताएँ निचले वर्ग को दबाकर इसीलिए उभरती हैं कि वे हमारी कृपा पर ही जिएँ और नागरिकता के अधिकार का उपयोग भी इसी कृपा के भरोसे करें। यह अवैधानिक और अमानवीय है, प्रतिक्रियावादी है; वही 'सूडो' या 'दांभिक' है।

'सेक्युलर' इस अंग्रेजी शब्द के लिए समानार्थी हिन्दी शब्द उपलब्ध नहीं है। 'सेक्युलर' शब्द 'होलीओक' और 'ब्रॉडलॉ' ने प्रचलित किया। इसमें पारलौकिक या मरणोत्तर जीवन का कोई संदर्भ नहीं होता, अपितु मानव का मानव से इहलोक में रिश्ता यह 'सेक्युलर' जीवन का विषय रहा। 'नागर' शब्द का संस्कृत में अर्थ है, जो दूसरे के साथ रह सकता है। अंग्रेजी 'पॉलिटिक्स' शब्द 'पोलिस' से निकला है। पोलिस का अर्थ है, नगर। नागरिक वह है, जो दूसरे के साथ रह सके, सिर्फ अगल-बगल में ही नहीं, पड़ोस में ही नहीं, साथ-साथ रहे; यह सहजीवन है। एक-दूसरे के साथ रहने का नाम ही नागरी जीवन है। परस्पराभिमुखता उसका अधिष्ठान है, और यही 'सेक्युलरिज्म' है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित शब्दावली में इस शब्द के लिए सर्वधर्मसमभाव, धर्मनिरपेक्ष अर्थ दिया है। दादा धर्माधिकारी ने कहा है, 'सेक्युलर' शब्द का इतिहास वैसे बहुत पुराना है, लेकिन वह शब्द अलग-अलग अर्थों में प्रयोग में लाया जाता था। जैसे 'सेक्यूलर गेम्स', 'सेक्यूलर क्लर्जी', 'सेक्यूलर एक्विलरेशन ऑफ द मून' आदि। सर्वप्रथम जॉर्ज जेकब होलिओक ने सन् 1950 में कहा, धर्म और 'सेक्युलरिज्म' परस्पर व्यावर्तक हैं। वे एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश न करें। धर्म में निहित नैतिकता हमें मान्य है, लेकिन उस नैतिकता का आधार धर्म नहीं होगा। इसके मायने हैं कि 'सेक्यूलरिज्म' धर्मनिरपेक्ष हो तो भी धर्मविरोधी नहीं।

श्री रामकृष्ण परमहंस देव, स्वामी विवेकानन्द, गांधी और विनोबा ने धार्मिक समन्वय पर जोर दिया। रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में भिन्न-भिन्न धर्मों का अनुष्ठान कर उनकी मूलभूत एकता का अनुभव किया।

गांधी ने सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना का प्रवर्तन कर सर्वधर्म समभाव लोक-जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न किया और विनोबा ने सब प्रमुख धर्म-ग्रन्थों का सार निकालकर उनका साम्य लोगों के सामने रखा। विनोबा ने इसी मर्म को पकड़ लिया और कहा 'आज के युग में धर्म और राजनीति कालबाह्य हो गये हैं। यह युग विज्ञान और अध्यात्म का है।' इससे यह पता चलता है कि 'सर्वधर्म समभाव' शब्द का प्रयोग भी सदोष है। तो हर एक इसका समर्थन कैसे कर सकेगा? सर्वधर्मसमभाव का प्रतिपादन करनेवाले गांधी तो यहाँ तक कह गये कि 'अस्पृश्यता वेदविहित होगी तो मैं वेद भी नहीं मानूँगा।' यानी धर्मनिष्ठ व्यक्ति की स्वधर्म श्रद्धा में भी विवेकपूर्ण मर्यादा होनी चाहिए। विवेक की मर्यादा के साथ ही गांधी ने अपने धर्म का पालन किया और उसकी नीतिविहीन विधियों का दृढ़ता से विरोध किया। दूसरे के हृदय में प्रवेश उसके धर्म द्वारा किया जाए, यह समाजशास्त्रीय सिद्धान्त है। लेकिन उसमें भी विवेक की मर्यादा तो रहनी ही चाहिए। इस दृष्टि से विवेकनिष्ठ धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म के बारे में जो भूमिका रखता है वैसी ही विवेकनिष्ठ भूमिका दूसरे धर्मों के विषय में उसे रखनी चाहिए। हर किसी को अपने-अपने धर्मों का अनुष्ठान और प्रचार करने की स्वतंत्रता हो, लेकिन मर्यादा होनी चाहिए मानवनिष्ठा और नीतिमत्ता। हमारे देश में आज यह नहीं हो रहा है। इसलिए सर्वधर्म समभाव सध नहीं पा रहा है। दुनिया में नैतिक मूल्यों के विषय के कानून धर्म से आगे बढ़ गया है। कानून ने ऐसे कुछ सर्वव्यापी मूल्य स्थापित किये हैं जो मानवमात्र पर लागू होते हैं। उस कानून में सम्प्रदाय, जाति या वंशवाद का कोई स्थान नहीं। इस अर्थ में वह कानून ही धर्मनिरपेक्ष या 'सेक्यूलर' है। पूरी मानवता और जीवमात्र के लिए यथासम्भव करुणा उस कानून का आधार है। यहीं पर धर्म पीटे रह जाता है। सब धर्मों के लिए समान आदर हो, लेकिन उनमें मानवनिष्ठा और नैतिकता का अधिष्ठान हो, यह भी अत्यन्त जरूरी है। तब सर्वधर्म समभाव और सेक्यूलरिज्म यानी 'धर्मनिरपेक्षता' है, तो सर्वधर्म समभाव में किसी भी धर्म विशेष का आग्रह नहीं है।

जब भारत का संविधान बना तब प्रस्तावना या प्राक्कथन में 'सेक्युलर' शब्द नहीं था। यह शब्द 42वें संविधान-संशोधन में अन्तर्भूत किया गया है। यह 'सेक्युलर' शब्द काफी अस्पष्ट और धुँधला है। संविधान के अधिकृत हिन्दी अनुवाद में सेक्युलर शब्द के लिए 'पंथनिरपेक्ष' तथा मराठी अनुवाद में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब इसकी व्याप्ति या व्याख्या तय करना आसान नहीं है। इसी कारण जो जैसा मानता है और चाहता है, वैसा उसका अर्थ करता है और करना चाहता है।

जनता सरकार ने 1978 में 45वाँ संविधान संशोधन बिल, पार्लियामेंट के सामने रखा था। इस बिल की धारा 44 में कहा गया था, "In the preamble to this constitution, the expression Republic as qualified by the expression SECULAR means a republic in which there is equal respect for all religions" उस समय इन्दिरा-कांग्रेस सत्ता में न होते हुए भी, राज्यसभा में बहुमत में थी और बिल की इस धारा को उनका विरोध होने के कारण वह बिल पास नहीं हो सका। इस प्रस्ताव का विरोध क्यों किया गया, यह तो राजनीतिज्ञ ही जानें; लेकिन परिणामस्वरूप आज भी इस शब्द की कोई व्याख्या या स्पष्टीकरण संविधान में नहीं है। इसलिए उस स्पष्टीकरण या व्याख्या को सर्वप्रथम पुनः स्थापित करना आवश्यक है; और उसी के साथ 'धर्मान्तर' पर पाबंदी लगाकर उसे असंवैधानिक मानना ही होगा न? इतना ही नहीं, धर्म, जाति, पंथ, सम्प्रदाय-निरपेक्ष, समान सिविल संहिता भी कानून द्वारा प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। इस बाबत सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार मत प्रदर्शित किया है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पक्ष उस पर आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, और वह भी संविधान के नाम से शपथ लेने के बावजूद। इससे अधिक शरम की बात क्या हो सकती है। राजनीतिज्ञों के मन में खोट और नीयत में मिलावट है, यही सबसे बड़ी अड़चन है।

आज के वैज्ञानिक युग में धर्म 'बहुवचन' में समाप्त होकर, सबका एक ही 'मानव धर्म' होगा। और फिर धर्मान्तरण की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आज तो स्वधर्म तथा 'एकेश्वरवाद' के नाम से 'ममेश्वरवाद' तथा 'ममधर्म' के नाम से 'ममधर्मवाद' का प्रचलन बढ़ रहा है। इसलिए सांस्कृतिक समन्वय तथा सर्वधर्म समन्वय के आधार पर सभी धर्म मानवधर्म के पवित्र महासागर में विलीन होंगे, तब ही जीवन कृतार्थ होगा। रोग का निदान (डायग्नोसिस) सही नहीं होगा, तो रोग ठीक करने के प्रयास में रोग और रोगी दोनों ही मर जाएँगे। आज तो अस्मिताएँ जग रही हैं, वे मानवता की दृष्टि से नॉन-कंडक्टर हैं। उनमें मानवीय मूल्यों का प्रवेश नहीं हो सकता। आज तो 'यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स', सार्वत्रिक मानवीय हकों की संहिता नैतिक मूल्यों की दृष्टि से किसी भी कानून या धर्म या सम्प्रदाय से अधिक मूल्यवान और मानवीय है। उसने मानवमात्र के लिए सार्वत्रिक मूल्य प्रस्थापित किये हैं, वह 'विश्व मानवत्व' की ओर अग्रसर हो रही है और यही वर्तमान युग की आकांक्षा और जरूरत है।

इसी संदर्भ में यह भी ध्यान रखना होगा कि हिन्दू धर्म में 'जाति' वास्तविकता है और 'धर्म' जातियों के जोड़ से बनने वाली कवि-कल्पना (Fiction) यानी काल्पनिक संकल्पना है। इसीलिए सम्प्रदाय, जाति या पंथ के उन्माद को समाप्त करने के लिए स्व-जातीय, स्व-सम्प्रदायीय या स्व-पंथीय, स्व-

धर्मीय विवाहों पर भी कुछ सालों के लिए पाबन्दी लगानी होगी, और सिर्फ अन्तर्जातीय, अन्तर्पन्थीय और अन्तर्साम्प्रदायिक या अर्न्तधर्मीय विवाहों को ही कानूनी मान्यता देने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। वैसे भी आज तो हिन्दू ही सबसे बड़ी अल्पसंख्यक 'कम्यूनिटी' है, क्योंकि उसमें जाति के हवा बंद डिब्बे हैं; वह समाज या कम्यूनिटी है ही नहीं। जातियों में भी परस्पर कम्यूनिकेशन नहीं है; अंतर्जातीय विवाह को ही मान्यता मिलने से कम से कम वैसी 'कम्यूनिटी' बनने में मदद तो मिलेगी।

इसी संदर्भ में विनोबीजी ने जो विचार प्रकट किये थे, उन पर भी गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। विनोबाजी ने कहा था कि ''मेरी राय में यह जो धर्मान्तरण-प्रक्रिया है, वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसमें संख्यावृद्धि का ख्याल होता है और उससे उन धर्मों के जो मुख्य संस्थापक थे, उनको कोई आनन्द होने वाला नहीं है। जिस ढंग से ईसाइयत का प्रचार दुनियाभर में लोगों ने किया है, उससे ईसा मसीह को खुशी होगी, यह मानना बिल्कुल गलत है। यहाँ का राज्य धर्मनिरपेक्ष-सेक्यूलर स्टेट कहलाता है। सब धर्मों को आजादी है कि अपने धर्म का विचार-प्रसार करें। परन्तु मत-परिवर्तन, हृदय-परिवर्तन के द्वारा जो होता होगा, उसके अलावा धर्मान्तर कराने की जो प्रक्रिया यहाँ चली है, मेरी राय में, उसे बंद ही करना चाहिए। कानून से भी बंदी हो सकती है, और ऐसा करने में सेक्यूलरिज्म को कोई बाधा आएगी, ऐसा मैं मानता नहीं। इतना ही नहीं, मैं तो इससे बहुत आगे की बात मानता हूँ : जो संतति के द्वारा धर्म-वर्द्धन चल रहा है, वह बिल्कुल गलत है; बल्कि हर मनुष्य को अठारह साल की उम्र में जाहिर करना चाहिए कि वह किस धर्म को मानता है। वह अमुक माता-पिता से पैदा हुआ, इसलिए 'ऑटोमेटिकली' यंत्रवत् उस धर्म का हो गया, यह जो ऑटोमेटिक यंत्र चल रहा है, वह भी बंद होना चाहिए और अठारह साल की उम्र में अपना धर्म साफ जाहिर करना चाहिए, फिर माता-पिता चाहे किसी भी धर्म के हों। अजीब बात है यह कहना कि संतान बढ़ाना धर्म-प्रचार का साधन है, बिल्कुल गलत है। माँ-बाप किसी भी धर्म के हों, अठारह साल की उम्र के बाद लड़के को अपना धर्म यानी उपासना की पद्धति तय करने का अधिकार होना चाहिए। आज बाप का धर्म ही बेटे को मिलता है। मनुष्य मात्र को अपना धर्म चुनने का अधिकार है। धर्म आध्यात्मिक वस्तु है; जाति भौतिक है। आज तो माँ-बाप का धर्म बेटे को मिलता है, इसलिए अपने-आप अमुक धर्म वालों की संख्या बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरएक मनुष्य अठारह साल की उम्र के बाद अपना धर्म पसन्द करे।''

वैसे देखा जाए तो सभी धर्मों के शाश्वत तत्त्व या मूल्य समान हैं। जैसे–सत्यप्रियता, ईश्वरनिष्ठा, अहिंसापरायणता, नीतिमत्ता, सौजन्य, निर्भयता, सदाचार आदि। लेकिन संकट यह है कि गणित के सिद्धान्त के अनुसार यह 'कॉमन फैक्टर' यानी समान शाश्वत मूल्य रद्द हो जाने के बाद जो 'कर्मकांड' बचता है, उसे ही विशिष्ट धर्म मान लिया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। इसीलिए तथाकथित 'घरवापसी' भी सिर्फ गलत ही नहीं, अधार्मिक भी है। धर्म, प्रदेश, भाषा, जाति के नाम पर प्रस्थापित 'सेनाएँ' भी अखिल भारतीयता और राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है। ये 'सेनाएँ' अगर बलवत्तर होंगी, तो भारतीय सेना देश की सुरक्षा कैसे कर सकेगी? इसे भी तो कभी-न-कभी सोचना होगा। आज तो ये सारी भावनाएँ राष्ट्रीय भावना का गला घोट रही हैं। आज तो संरक्षण दल में ब्राह्मणों की स्वतंत्र रेजीमेंट हो, ऐसी माँग अखिल भारतीय ब्राह्मण आरक्षण समिति ने की है। आज राजपूत, महार, मराठा, जाट रेजीमेंट है, जो अंग्रेजों की फूट-नीति का परिणाम है। और उसी नीति को बढ़ावस देने की माँग हो रही है, तो फिर अखिल भारतीय सेना का क्या स्थान होगा, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। 'अखंड भारत' की माँग करने वाले ही भारत को और खंडित करना चाहते हैं; यही तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और सज्जन निष्क्रिय हैं, इसलिए दुर्जन सक्रिय बन रहे हैं। अब्राहम लिंकन के आंदोलन का सुप्रसिद्ध वाक्य है, ''जब आवाज उठाने की जरूरत होती है, तब चुप बैठने का पाप करनेवाले डरपोक कहलाते हैं।'' मार्टिन लूथर किंग के शब्दों में, ''बुरे लोगों की बुराइयों से भी सज्जनों का अवांछनीय मौन और उदासीनता आज की त्रासदी है।'' जब सम्प्रदायवाद 'सेक्युलरिज्म' का गला घोट रहा है और सारे ही राजनीतिक पक्ष, इसी होड़ में लगे हैं, उस वक्त शब्द-छल करके चुप बैठना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति महापाप है, यह जानने की जरूरत है।

आतंकवाद और असहिष्णुता को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताते हुए हर वैश्विक नेता इसे धर्म से अलग करने का आह्वान कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि दुनिया को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए, और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी देश या समाज आतंकवाद का इस्तेमाल, समर्थन या प्रोत्साहन न करने पाए। (लेकिन विडम्बना यह है कि यह 'दशम न्याय' की तरह खुद को उस संकल्पना से अलग रखकर यह चर्चा हो रही है।)

इस बाबत शुरुआत किसने की, यह भी संदर्भहीन है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि—

''दोष किसका है, यह बाद में तय कर लेंगे,
पहले सवाल को सुलझा तो लें,
आग किसने लगायी, यह बाद में खोज लेंगे,
पहले मुहब्बत की शबनब से इसे बुझा तो दें।''

यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसकी शुरुआत अपने खुद से होनी चाहिए। ❑

'इतिहास' पूरा सच नहीं

❑ किशनगिरि गोस्वामी

राजा-महाराजा किस प्रकार भोग-विलास करते थे? किस प्रकार हत्याएँ करते थे? किस प्रकार शत्रुता करते थे? यह सब 'हिस्ट्री' में मिल जाता है। यदि मात्र यही इतिहास होता तो दुनिया कब की डूब गई होती। यदि इस संसार की गाथा लड़ाई से शुरू हुई होती, तो आज एक भी आदमी जीवित नहीं बचता। इस धरती पर सैकड़ों कौमें हजारों वर्षों से मिल-जुलकर रह रही हैं।

आजकल विद्यालयों में जो तालीम दी जाती है, उसमें यूँ तो अनेकानेक दोष हैं, लेकिन एक बड़ा भारी दोष यह है कि इसमें भावी पीढ़ी के दिमाग में इतिहास के नाम पर कई चीजें ठूँसी जा रही हैं। अतः इस तालीम में सर्वाधिक गंभीर खतरा इस इतिहास शिक्षण ने खड़ा किया है। इतिहास यानी इति-ह-आस परन्तु आज तो इतिहास में जो नहीं हुआ उसे भी लिख दिया जाता है। ये इतिहास जितने झूठे होते हैं, उतनी झूठी कल्पित कहानियाँ भी नहीं होतीं। क्योंकि कहानी लिखनेवाला पहले से ही लिख देता है कि सारी कहानी कल्पित है। इतनी सच्चाई तो उसमें होती ही है। इसके उलट इतिहास लिखनेवाला ताल ठोक कर दावा तो यह करता है कि उसने सारा सत्य लिखा है, जबकि होता वह सारा झूठ है, इसका कारण यह है कि इतिहास अपनी-अपनी मर्जी से लिखे जाते हैं–जैसे दो महायुद्धों में प्रत्येक देश ने उसका अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग इतिहास लिखा है। अंग्रेजों ने अपने देश के इतिहास में पहले 'गांधी एक क्रांति विरोधी व्यक्ति है' लिखा था, लेकिन अब लिखा जा रहा है कि 'वे एक महान पुरुष हो गए'। 'वे हुए ही नहीं' ऐसा नहीं लिखते, यह उनकी मेहरबानी है।

मानव इतिहास का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि विश्व के सारे संघर्ष तीन मुद्दों–जर, जोरू, और जमीन के इर्द-गिर्द घूमते रहे हैं चाहे वह रामायण-महाभारत काल की बात हो या दो विश्वयुद्धों की। आज भी दुनिया भर में दो पड़ोसी राज्यों, भारत-पाक, भारत-चीन या इजराइल-फिलिस्तीन आदि जैसे झगड़ों के पीटे जमीन ही मुख्य मुद्दे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इस पर विचार करने पर आभास होता है कि जमीन मात्र आजीविका का एक आधार ही नहीं प्रदान करती है बल्कि यह अपने आप में 'कुछ और' भी समेटे हुए है।

राजा-महाराज किस प्रकार भोग-विलास करते थे? किस प्रकार हत्यायें करते थे? किस प्रकार शत्रुता करते थे? यह सब 'हिस्ट्री' में मिल जाता है। यदि मात्र यही इतिहास होता, तो दुनिया कब की डूब गई होती। यदि इस संसार की गाथा लड़ाई से शुरू हुई होती, तो आज एक भी आदमी जीवित नहीं बचता। इस धरती पर सैकड़ों कौमें हजारों वर्षों से मिल-जुलकर रह रही हैं। इतिहास उनका उल्लेख कभी नहीं करता, कर भी नहीं सकता। कैसी विडम्बना है कि जब दया, प्रेम, करुणा अथवा सत्य जैसे मानवीय गुणों का प्रभाव रूद्ध होता है या टूट जाता है तभी उसका उल्लेख इतिहास में किया जाता है। हमें इतिहास का यह सबक याद रखना चाहिए कि हिंसा-प्रतिहिंसा का रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। यह किसी समस्या के समाधान तक नहीं पहुँचता। वास्तविक, स्थायी एवं बुनियादी समाधान अहिंसा द्वारा ही निकल सकता है, जिसकी प्रक्रिया है–पारस्परिक संवाद।

दिग्विजय का युग कब का खतम हुआ। अब मानव-सेवा का युग आ गया है। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सब धर्मों में जो तंग-दिल वर्ग है, उनका विरोध होते हुए भी हमें आगे बढ़ना होगा। साम्राज्यवादी, हिंसावादी और पूँजीवादी आदि भूतकाल के सब उपासकों को परे धकेल कर हमें आगे बढ़ना होगा। सेवा और मानवता या 'मानवता और सेवा' यही एक मंत्र अपने हृदय में रखते हुए और बरतते हुए हमें सबका समन्वय करना है। इतिहास ने आज तक जो कुछ भी कमाया और जो कुछ भी बचाया, उन सबको एकत्र लाकर मानवता के जीवन में हमें अब बराबर करके गूँथना है। उसे एक जीव बनाना है और उसमें से सर्वकल्याणकारी, सर्वोदयकारी नयी संस्कृति का निर्माण करना है।

भारत के इतिहास और समाज पर पहले मनु एवं अब गांधी का गहरा प्रभाव रहा है। किसी समाज की प्रगतिशीलता एवं सहिष्णुता का पैमाना संभवतः यही होता है कि वह अन्तिम कतार के अन्तिम व्यक्ति से किस तरह पेश आता है। हमारे इतिहास, संविधान एवं विभिन्न मंचों पर तो हम भारतीय, काफी उदारमना नजर आते हैं, लेकिन यर्थाथ जीवन में हम अपने ही लोगों के प्रति बेहद दोगला एवं कठोर व्यवहार करते हैं। एक प्रख्यात मनीषी ने इतिहास और पुराण की आत्मा को छूकर एक ब्योरा दिया है कि ''अगर हमें इतिहास में रहना है तो आत्मा को खोना पड़ेगा क्योंकि इतिहास में आत्मा की कोई पूछ नहीं होती। दोजख का इतिहास लिखा जाता है, जन्नत का कोई इतिहास नहीं होता। इसीलिए पूरब के लोगों के पास इतिहास →

रचनात्मकता का नया नगर

❑ डॉ. सुगन बरंठ

चलें बसायें नया नगर : यह पंक्ति सम्पूर्ण क्रांति 1974 के समय से जबान पर आती रही। कौन गीतकार है यह भी पता नहीं, न यह पता है कि यह गीत किसी फिल्म में आया है या नहीं, किसी गायक ने गाया है या नहीं, इसके रेकॉर्ड बाजार में थे या नहीं, यह कुछ भी याद नहीं। लेकिन एक बात याद है कि वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट लोग उस जमाने में इसे गुनगुनाते थे। गांधी ने भी अपने रचनात्मक काम से यही संदेश दिया कि इस शैतानी सभ्यता के विकल्प के रूप में यह नया नगर (सभ्यता) बसाने का प्रयास है।

आज शैतानी सभ्यता अपने चरम पर है, तब नया नगर बसानेवालों की (रचनात्मक काम करनेवालों की) क्या स्थिति है, यह जानना, समझना और फिर उसे अपने कार्य-क्षेत्र में प्रयोग, ज्ञान में परिवर्तित करना अपने-अपने ढंग से चल रहा है।

इस नये नगर के जितने मिस्त्री हैं उनकी और नये नगर की सैद्धांतिक बात करनेवालों के बीच (सर्वोदय दर्शन पर चलनेवाली संस्थाओं) का रिश्ता आज किस स्थिति में है, यह देखना, समझना हमें आगे की राह पकड़ने के लिए बहुत उपयुक्त होगा। आज देशभर में अनेक प्रकार के सर्वोदय दर्शन आधारित रचनात्मक काम चल रहे हैं। ये ऊर्जा, वस्त्र, गोवंश, खेती, यंत्र, जल, शिक्षा से लेकर व्यवस्थापन, शांति, सामूहिक अधिकार तक के हैं। नया नगर यानी नयी या वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करनेवालों का परिचय ही देना इतना सीमित उद्देश्य इस लेख-माला का नहीं है। हमें अपने क्षेत्र में इसका सदुपयोग समता आधारित, शोषणमुक्त समाज-निर्माण के हमारे प्रयास में प्रत्यक्ष कैसे करना है, यह इसमें से सीखना जरूरी है।

शायद परिचय तो आपको नाम से होगा ही। आपका कभी किसी प्रसंगवश उधर जाना हुआ हो, तो इस संस्था को जानने का लाभ भी मिला हो। पर समझना तब ही संभव है जब हमें दो दिन रहकर इनके काम और क्षेत्र में इनके प्रयोग, इनकी निष्पत्ति को आँकने का मौका मिले। फिर उस समझ को ज्ञान में, अपने स्वयं के क्षेत्र में परिवर्तित करने से अधिक स्पष्ट होगा।

मैं स्वयं कई ऐसी संस्थाओं में सर्व सेवा संघ अध्यक्ष काल में नाहक मिलन हेतु गया, आधा दिन रहकर काम जाना और आगे निकला। बात आयी गयी। फिर छः साल बाद उस काम को पूरे दो दिन रहकर समझा। अब उनके प्रयोग अपने मालेगाँव, वर्धा की नयी तालीम में किए तब मेरा ज्ञानवर्धन हुआ। अब रिश्ता इतना करीब हो गया कि हर जगह उनकी परिस्थिति अनुसार बताना और जिसे बताया उसे इसका क्या लाभ है, यह अनुभव से कहते रहता हूँ।

यही इस लेखमाला का उद्देश्य है कि आप भी जानें, समझें और अनुभव से क्षेत्र में उपयोग कर 'नया नगर' बसाने हेतु समर्पित सैनिक बनें।

इस लेखमाला में हम उन नवनिर्माताओं की बात करेंगे, जिन्होंने इस माटी की परंपरागत समझ को आत्मसात किया, जहाँ जरूरत महसूस हुई वहाँ नये संशोधन जोड़े, ताकि पर्यावरण मैत्री-शैली से श्रमिकों का कार्य अधिक कुशल, अधिक सरल हो सके। **—डॉ. सुगन बरंठ**

चलें बसायें नया नगर-1

कुल फासला 250 कि.मी.। उसमें करीब 70 कि.मी. सुनसान सड़क, आदिवासी, घाट और जंगल से गुजरना था, तब रात 8 बजे निकलकर घाट के 30 कि.मी. पहले एक मित्र के यहाँ रुककर सुबह प्रस्थान कर करीब 3 घन्टे में स्थान पर पहुँचे। उधर से मुंबई और अहमदाबाद के मित्र एकाध घंटा

→

नहीं है। हमने पुराण लिखे हैं–इतिहास नहीं। पुराण तत्त्व एवं सार की बात कहता है। इसलिए हमने बुद्ध के बारे में लिखा। पुराण का अर्थ है–सार, सुगन्ध इकट्ठी कर लेना। इसी कारण पुराण अनादि है और इतिहास गैर जरूरी विस्तार है।''

अतः हमें इतिहास लिखने की पुरानी सामंती मानसिकता को बदलते हुए प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, सहिष्णुता आदि मानवीय गुणें को उद्घाटित एवं विकसित करनेवाली घटनाओं को इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। यदि भारत को अपना इतिहास रचना है तो उसे अपनी राजनैतिक एवं नैतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर 'भोज का अधिकार' कानून बनाना चाहिए। देश के संसाधनों पर पहला हक उनका होना चाहिए जो सबसे ज्यादा अभावग्रस्त हैं। भोजन का अधिकार कानून हमारी सरकार और देशवासियों को हर घर में भूख को बाहर खदेड़ने के लिए मजबूर करेगा। भारत की यह पहल 'विश्व इतिहास' को एक नयी दिशा दिखायेगी। अण्णा हजारे को भी लोकपाल में भोजन का अधिकार दिलाने की माँग को भी शामिल करना चाहिए। ❑

में पहुँच गये। हमारा पहला काम था संस्था से संबंधित (पदाधिकारी नहीं) लोगों से मिलकर संस्था के विषय में उनके विचार सुना। इनमें किसान थे, लुहार थे, आदिवासी थे, स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के विज्ञान के प्राध्यापक थे, सर्वोदयी थे। ये सारे संस्था से किसी न किसी माध्यम से जुड़े थे। उनका अभिप्राय हमें सुनना था।

किसान का कहना था–इस संस्था के कारण हमारे औजारों में सुधार होकर लाभ हुआ। इससे मजदूरों के श्रम बचे, उत्तम गुणवत्ता का माल मिला, हमारी तकलीफें समझकर औजारों में सुधार हुआ जो इस क्षेत्र (दक्षिण गुजरात–गन्ना, धान तथा मूँगफली का इलाका) के लिए जरूरी है। पहले हमें कंपनियों के औजार खरीदने पड़ते थे जो सारे भारत के लिए बने होते हैं। बड़ी मुश्किल से उसमें अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव हुआ। तब हमने आराम के साथ सुविधापूर्वक काम शुरू किये। बड़े किसान यान्त्रिकी खेती की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे फिर कंपनियों की ही गुलामी। इसमें हमारा आर्थिक नुकसान तो था ही और मजदूर भी प्रसन्न नहीं थे। खेती में हमें भी आनन्द नहीं था। अब दोनों खुश हैं, आय बढ़ी है। हमारी सजीव खेती का उत्पादन अब शहर के लोग खेत में आकर ले जाते हैं, वह भी हमारे दाम पर। हम कृषि मंडी की लूट से भी बचे।

महिलाएँ बोलीं–हमने खाद बनाने के अलग-अलग प्रकार सीखे, बनाये। कुछ माल तो कुदरत की देन हैं–सूखे पत्ते, घास आदि पर अब शहर के कचरे से भी काफी हरा कचरा निकल आता है। अब उनकी बिक्री (मार्केटिंग) से हमारी आय शुरू हुई और आत्मविश्वास बढ़ा, समाज में रुतबा बढ़ा। परिवार पहले से अधिक समृद्ध हुआ, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

आदिवासी भाइयों की राय–पहले बाजार के औजार खराब हों या धार लगाना हो तो 20-30 कि.मी. कस्बे या शहर जाना होता था, रोजी जाती, दिनभर भूखा रहना पड़ता था। अब हमारे गाँव के युवा तैयार हुए। यहाँ से उन्होंने 5-7 गाँव मिलकर अपना व्यवसाय शुरू किया, हमारे श्रम बचे, पैसे बचे और वे हमारी जरूरत के औजार बनाते हैं।

ब्लैकस्मीथी अर्थात् लुहार काम वाले दुकानदार एक ही थे। उन्होंने कहा, यहाँ की कला सिखने से मेरा धन्धा बढ़ा क्योंकि स्थानीय लोगों को जो चाहिए वह मैं देता हूँ। मैंने कुछ नये इजाद अपने दिमाग से किये हैं, आप देखेंगे। पहले हमारी जमात का धन्धा बंद होने के कगार पर था, अब हम भरपूर मेहनत करते हैं और कमाते भी भरपूर हैं। हमें फुर्सत नहीं। यहाँ की विशेषता यह है कि इन्होंने हमें लोहे के गुण परखने, ऊर्जा का मूल्य मापन का विज्ञान सिखाया। अब हमें जो लोहा चाहिए वह व्यापारी लाते हैं। पहले उन्हें जो बेचना होता था वह हमारे माथे मढ़ देते थे, औजार टिकाऊ नहीं लाते, तब हम दोनों तरफ से मार खाते थे।

अब प्राध्यापक साहब की बारी थी, वे बोले–इस संस्था का हमें भी लाभ है। हम अपने विद्यार्थियों को क्षेत्र की जरूरतें, लुहार का कौशल, किसान की जरूरतें, व्यापार की या उत्पादन की उपलब्धताएँ और मौके तलाशने की विधियाँ सीखते हैं। विषय रोचक बन जाते हैं, विद्यार्थियों को आनन्द मिलता है। केवल नौकरी से ही करियर नहीं यह समझ मिल जाती है। हमारा इन्हें लाभ है कि हम इनके परंपरागत व्यावसायियों को वैज्ञानिक, कौशल की पूर्ण दृष्टि देते हैं, दोनों का लाभ है और अन्य लेन-देन नहीं। यह संस्था वास्तव में आज किताबी पाठ्यक्रम को न केवल रोचक बल्कि समाजोन्मुखी बनाती है। हमें यहाँ पढ़ना और पढ़ाना दोनों आनन्द मिलते हैं।

अब सर्वोदयियों की बारी आयी–पहले एक जेष्ठ सर्वोदयी भाई बोले–मोहन भाई के जाने के बाद (1990) में यह संस्था बीमार और निष्क्रिय होकर बंद होने के कगार पर थी। 1999 में ये दोनों कार्यकर्ता यहाँ आये और यह संस्था न केवल जिन्दा हो उठी बल्कि इनके कारण हम सही रूप में गांधी की राह पर चल पड़े। मैं तो इनका कायल हूँ। दूसरी बुजुर्ग सर्वोदयी बहन बोलीं–इन बच्चों ने यहाँ स्थानीय लोगों की जरूरतों को समझा, उसमें इजाद किए, उन्हें प्रशिक्षित किया, लुहारों के डूबते व्यवसाय को फिर कौशल और समृद्धि से भरकर प्रतिष्ठा दिलायी, वहीं दूसरी ओर संशोधक, प्राध्यापक वर्ग को जोड़कर उन्हें धरती पर लाया। इसके कारण आज इस इलाके में बड़े उद्योगों की खेती किसानी के औजार का बाजार खत्म हो रहा है। तीसरी खास बात, अब इन्होंने सहकारी चीनी मिलें, कृषक संस्थाएँ इनसे संपर्क कर अपनी बिक्री का एक परिवार बना लिया है। लोग अब औजारों को संस्था के नाम से जानने लगे हैं।

फिर कम्प्यूटर से संस्था चालकों ने हमें बारीकियाँ समझायीं, इनमें यह समझ नयी थी कि देश की नामचीन एन.आई.टी., आई.आई.टी. के लोग सक्रियता से जुड़े हैं। यही कारण है कि संशोधन और परंपरा का सुयोग्य मेल हुआ है। दूसरा कारण था वर्तमान चालक न केवल आधुनिक तंत्रज्ञान में डिग्री हासिल किये बल्कि ग्रामोपयोगी विज्ञान में इन्होंने अपनी जवानी के कुछ वर्ष दिये थे। ये वास्तव में गांधी को समझे हुए जमीनी कार्यकर्ता हैं।

अब बारी थी संस्था परिसर में चल रहे यंत्र विद्यालय और खेती आधारित उद्योग देखने की। सबसे पहले हमने औजार बनने की विधियाँ देखा, समझा और विषमुक्त खेती को समझा। फिर उनके उपहार गृह देखा-चखा। फिर गये लुहारशाला देखने, औजार स्टोर देखने, बिक्री केंद्र देखने। अंत में इनके संशोधित और लोगों में बड़ी मात्रा में उपयोग किए जानेवाले खेती के औजारों की प्रदर्शनी भी देखी। सब जगह कारीगर, प्रशिक्षणार्थी, विक्रेता, उपहार गृह चलानेवाला समूह से बात की, समझा की उनका जीवन स्तर कैसा है। सब खुश थे।

वहाँ से गाँव में गए, लुहारों से मिले, आदिवासी, लुहारी कामवाले व्यावसायिकों से मिले। सभी जगह भावना वही थी जो ऊपर के लोगों ने बताया था। एक लुहार व्यावसायिक ने जो नये इजाद किए वे तो आश्चर्यचकित करने लायक थे। इसे करने में आई.आई.टी. में न जाने कितने साल और कितना धन खर्च होकर भी वह संशोधन किसान तक पहुँचता या नहीं। एक सहकारी बिक्री केंद्र पर गए। उनके संचालक से पूछा तो कहा–पहले हम टाटा के औजार बेचते थे। अब किसानों की माँग है, हमारे अध्यक्ष भी संस्था के प्रयासों को समझते हैं। बड़ी कंपनियों की लूट पर चर्चा होती है, खासकर हमारे सदस्य किसानों के, तब तो हमें सोचना ही पड़ता है। स्थानीय उत्पादन में गुणवत्ता का अभाव एक बात बताई जाती है, जो कुछ हद तक सही भी है। पर इस संस्था ने उस पर ही मात की है। इनकी गुणवत्ता ही लोगों के विश्वास का प्रमाण है। इस क्षेत्र में अब तो बड़ी कंपनियों का माल कोई रखता नहीं।

यह परिचय उस संस्था का है जो खेती के औजारों का, खेती के ढंग का अपने-अपने क्षेत्र के अनुकूल अर्थात् स्वदेशी उत्पादन करना परंगपरागत व्यावसायियों को सिखाये। किसान-मजदूर के श्रम बचाए, उन्हें समृद्ध करे और उनका सर्वाधिक विकास करे–न केवल आर्थिक बल्कि सोच का भी।

यही है सही नयी तालीम।

इसके अलावा संस्था बायो गैस, सूर्य-कूकर, निर्धूम चुल्हा और सर्वोदय जीवन-पद्धति के अनेक काम चलती है, पर वह दूसरी भी संस्थाओं में चलता है। अतः उसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं। यह तो विशेषताओं की जानकारी है।

अपने कौशल के लिए जरूरी नेटवर्किंग के साथ सर्वोदय की भातृ संस्थाओं से संगठनात्मक कामों में जुड़े रहना इस संस्था की विशेषता है। संस्था का इतिहास लम्बा है। गांधी के हर रचनात्मक काम को शासन और समाज ने विकास की पागल दौड़ में जैसे मृतप्रायः कर दिया, अतः गौरवशाली इतिहास की बड़ी-बड़ी बातें मुझे आपको नहीं बतानी हैं। आप उन्हें जानने-समझने जायेंगे तो पता चल ही जायेगा। आपको पदाधिकारी और समर्थकों का भी पता चल जाएगा। उसके लिए कुछ कहना यहाँ अनुचित होगा।

अब तो आपकी उत्सुकता बढ़ी होगी कि उस संस्था और उसके प्रेरक का नाम-पता तो बतायें। तो मित्रो! यह है बारडोली, जिला-सूरत की गांधी की दृष्टि से और उसी समय की, कृषि-गोसेवा एवं संशोधन तथा विकास के लिए समर्पित संस्था–सुरुचि यंत्र विद्यालय की ताजी पहचान और आंशिक जानकारी।

उनसे संपर्क का फोन-09377774764/ ई-मेल atrcbardoli@gmail.com

मुख्य प्रेरक—रमा और राम कुमार से संपर्क करें। ❑

सागर की लहरें

❑ **प्रो. बसन्ता**

सागर से निसृत हो लहरें,
आती रहती तट के पास।
कैसा ये संदेशा लातीं,
कितना अनुपम है उल्लास।।

सतह पर कितना उथल-पुथल है,
लहरों का ताण्डव गर्जन है।
सागर तट पर खड़ा बटोही,
सोच रहा यह महा वमन है।।

लहरें क्या संदेशा देतीं,
इसको समझे विरला कोई।
ऊपर तो तूफान प्रबल है,
अंदर अमित शान्ति है सोयी।।

सागर के अन्तस्थल में तो,
रत्नों के आगार भरे हैं।
स्वयं लक्ष्मी इससे निकली,
विष, अमृत के कुंभ भरे हैं।।

चाहे कितना उछल-कूद लें,
लहरों को वापस होना है।
यदि विच्छेद हुआ सागर से,
अपना अस्तित्व सद्य खोना है।।

इसी भाँति हम सभी जीव हैं,
उसी ईश-सागर की लहरें।
सागर से अस्तित्व हमारा,
उसकी कृपा-दृष्टि पर ठहरे।।

जायें कितनी भी दूर लहरें,
फिर-फिर सागर में आना है।
सागर से ही निसृत होना,
सागर में ही मिल जाना है।। ❑

विचारधाराओं का वर्चस्व

❑ अरविंद अंजुम

भारतीय समाज जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, संस्कृति व भाषा आदि के अंतरविरोधों व टकराव का योग है। जब कभी ये टकराव व विरोध दायरे के बाहर निकलते हैं तो तनाव व विग्रह की स्थिति पैदा हो जाती है। आज यही स्थिति हम देख रहे हैं। विगत दो वर्षों से 'विचारधारा के वर्चस्व' की स्थापना का जो अभियान चल रहा है, वह इस तनाव की मूल वजह है।

विचारधारा का प्रचार-प्रसार एक जनतांत्रिक हक है। यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त व पोषित है। आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार के समय संविधान संशोधन द्वारा किसी भी स्थिति में नागरिक व मौलिक अधिकारों को स्थगित करने से रोक दिया गया है। विचारों की अभिव्यक्ति के प्रति यह प्रतिबद्धता जनतंत्र व जनतांत्रिक पद्धति के जरिये हासिल होती है। विचार-प्रसार का यह अधिकार व सामान्य नागरिकों के साथ-साथ प्रगतिशीलों एवं प्रतिक्रियावादियों को भी हासिल है। अगर कोई विचार की अभिव्यक्ति व उसके तत्त्व के कारण तब तक अपराधी नहीं हो सकता जब तक कि वह भारतीय अपराध संहिता या दंड संहिता का उल्लंघन न करे।

गत दिनों रोहित वेमुला एवं जे.एन.यू. परिसर में जो कुछ हुआ, वह अत्यंत चिंताजनक है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र रोहित वेमुला वैचारिक/सांगठनिक वर्चस्व स्थापित करने की कोशिशों का शिकार बने। इसे सिर्फ आत्महत्या मानकर सहानुभूति प्रकट करने भर से काम नहीं चलनेवाला है। यह आत्महत्या समूचे भारतीय समाज में जातिवाद के वायरस, शिक्षण-संस्थाओं पर बढ़ रहे राजनैतिक हस्तक्षेप एवं पक्षपातपूर्ण अकादमिक वातावरण के सामने तनकर सवाल रखती है। इन सवालों से जी चुराने व मुँह छिपाने, अगल-बगल झाँकने या बच निकलने के लिए गली तलाशनेवाले इस आत्महत्या के जिम्मेवार माने जायेंगे। राजनीति के शीर्ष पर आज यही खेल चल रहा है।

जे.एन.यू. परिसर आज की सत्ता के निशाने पर है। यहाँ की बौद्धिकता 'बर्चस्ववादी विचारधारा' को रास नहीं आ रही है। यह परिसर प्रारंभ से ही वामपंथी व उग्र वामपंथ का केन्द्र रहा है, इसके अलावा यह प्रगतिशील एवं बौद्धिक चिंतन व अध्ययन का केन्द्र भी है। वामपंथियों के गढ़ होने के बावजूद यहाँ फ्री थिंकर्स नामक समूह ने छात्रसंघ के महत्त्वपूर्ण पदों पर विजय प्राप्त की थी। छात्र राजनीति एवं छात्र संगठनों के दाव-पेंच बेशक यहाँ भी आजमाये जाते हैं, फिर भी एक अवसर रहता है–सबों के लिए। छात्रसंघ चुनाव एक प्रकार से भारतीय पुरातन-पद्धति शास्त्रार्थ जैसा ही होता है। इसमें सांगठनिक सामर्थ्य के साथ-साथ उम्मीदवार की योग्यता व लोकप्रियता की भी खासी भूमिका होती है। इसमें बौद्धिक प्रतिभा को निखरने का कमोबेश समुचित माहौल है। हालाँकि अन्य विश्वविद्यालयों एवं अकादमिक संस्थानों की तरह यहाँ भी पक्षपात होता है परंतु प्रायः योग्यता की कद्र होती है।

जे.एन.यू. परिसर सिर्फ बौद्धिक कर्म के लिए ही नहीं बल्कि फितूर एवं इवेंट के लिए भी समान रूप से मशहूर है। इस परिसर में दुर्गा-पूजा के दिन महिषासुर की शहादत दिवस मनाया जाता है, मांस खाने का आयोजन होता है, संवेदनशील मसलों पर खुलकर पक्ष रखे जाते हैं। इसी माहौल में एक अजीबो-गरीब घटना घटी जिसने प्याले में तूफान उठा दिया है। इस घटनाक्रम को उपरोक्त पृष्ठभूमि में ही देखा जाना चाहिए। यहाँ यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि 'भारत की बर्बादी की कामना' करनेवाले नारे लगाना एक नकारात्मक व विध्वंसात्मक प्रवृत्ति व प्रतिक्रिया को जताती है। पाकिस्तान या कश्मीर को आबाद या आजाद करने के नारे भी किसी हद तक सहनयोग्य हो सकते हैं। पर बर्बादी की कामना तो हरगिज नहीं।

दुनिया में जब तक देशों का दायरा बना हुआ है, तब तक देशों के बीच विद्वेष, प्रतिस्पर्धा एवं तनाव बना रहेगा। मानवीय व वैश्विक दृष्टिकोण की प्रेरणा तो विश्व बंधुत्व, जय जगत की है। भूदान आंदोलन के दौर में आचार्य विनोबा भावे एक बार पूर्वी पाकिस्तान (अब का बंगलादेश) भी गए थे। वहाँ उन्होंने कहा कि ''मैं मानता हूँ कि सब पृथ्वी हमारी है और हम सब पृथ्वी के सेवक हैं। यह एक आकस्मिक घटना है कि हम किसी एक देश में जन्में या मरें। मैं यहाँ महसूस करता हूँ कि हम यहाँ के हैं। सब मानव समाज हमारे अंतर्गत हैं। मैं जहाँ जाता हूँ, वहाँ 'जय जगत' कहता हूँ। मेरी पहली दो-तीन सभाओं में लोगों ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया। मैं 'जय जगत' बोलता था। धीरे-धीरे वहाँ भी 'जय जगत' ही चल पड़ा। मैं 'जय हिंद' बोलता तो 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और 'जय हिंद' का झगड़ा हो जाता।'' (अहिंसा की तलाश, पृष्ठ संख्या-174)

देश, तथाकथित धर्म-संप्रदाय एवं संगठन के पक्ष में तथा असहमत पक्ष के खिलाफ एक उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है। देशद्रोह के प्रमाण-पत्र वितरित किए जा रहे हैं। सजाये-मौत की माँग हो रही है। वैसे तो आजकल एक फैशन-सा चल पड़ा है–सजाये-

शेष पृष्ठ 18 पर...

गाँवों को लीलती आपदाएँ

❑ सुरेश भाई

पिछले मानसून में पुणे के मालिण गाँव एवं उत्तराखण्ड के जखन्याली नौताड़ में आई आपदा में लगभग दो सौ लोग मारे गये। आपदा प्रभावित ये दोनों गाँव पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं। दोनों ही स्थानों पर प्रशासन की चूक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यदि समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किये जाते तो लोगों को बचाया जा सकता था। जखन्याली नौताड़ के आस-पास पिछले वर्ष केदारनाथ आपदा के दौरान भी भूस्खलन हुआ था। गाँव के निवासियों द्वारा इसको रोकने के लिए सुरक्षा दीवार लगाने की माँग की पिछले वर्षों से अनसुनी की जा रही है।

पिछले वर्ष 30 जुलाई की रात में हुई घटना के बाद जखन्याली नौताड़ के ग्रामीणों का कहना है कि यदि लोक निर्माण विभाग इस गाँव में भूस्खलन को न्योता देनेवाले रईस गदेरे की दोनों ओर सुरक्षा दीवार बना दी होती तो यहाँ पर 14-15 घर मलबे में नहीं समाते और न ही 6 लोगों की जान जाती।

इसी तरह मालिण गाँव में भी आपदा प्रबंधन की पोल खुल गयी है। यहाँ पर पवन चक्कियाँ स्थापित किए जाने के कारण गाँव में भूस्खलन हुआ है। स्थानीय लोग कृषि विभाग को भी इस घटना के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। पर्यावरणविद् माधव गाड़गिल ने भी पवनचक्कियों को मालिण गाँव की तबाही का कारण बताया है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर वृक्षों का कटान, पत्थरों के खनन व अवैध निर्माण ने ही गाँव के 175 से अधिक लोगों को जिंदा दफना दिया है।

केदारनाथ (उत्तराखंड) में 16-17 जून, 2013 को आई आपदा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह एवं वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी उत्तराखण्ड की आपदा को मानवजनित बताया था। उन्होंने निर्देश दिये थे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय खोजे जाने चाहिए। इस आपदा के बाद विशेषकर पहाड़ों व हिमालय की गोद में बसी हुई आबादी और देवभूमि के रूप में आकर्षित करनेवाली यहाँ की धरती पर बार-बार आ रहे संकट को देखते हुए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं व वैज्ञानिकों ने दो दर्जन से अधिक अध्ययन किये हैं।

गांधी शान्ति पुरस्कार से सम्मानित चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि 1991 के भूकम्प से उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ को जोड़नेवाली पहाड़ियों पर दरारें पड़ी हुई हैं। इसके बाद भी लगातार छोटे-बड़े भूकम्प आ रहे हैं जो बार-बार भूस्खलन को न्यौता देते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच बड़े-बड़े सुरंग बाँधों के निर्माण से बड़ी तबाही के संकेत तो उन्होंने पहले ही दिये थे। इसके बाद यहाँ पर सन् 2010 से 2013 तक लगातार बाढ़ आयी है जिसके कारण 100 से अधिक लोग केवल उत्तरकाशी में ही मरे हैं। केदारनाथ की तबाही के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर डॉ. रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने अध्ययन करके यह तबाही साबित की है कि भारी बारिश के चलते लगभग 24 सुरंग बाँधों के निर्माण से नदी तटों पर जमा हुए मलबे के ढेरों ने अधिकतर गाँवों में तबाही की कहानी लिख दी थी। इन बाँधों पर तत्काल काम बंद करने के आदेश भी दिये गये थे। यह बात अब कई रिपोर्टों में खुलकर सामने आयी है। पहाड़ों की गोद को छलनी करनेवाली जेसीबी मशीनों ने सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान आपदा की अधिक गुंजाइशें पैदा की हैं।

उत्तराखण्ड में 'आवाज' नामक एक नागरिक आपदा रिपोर्ट में बताया गया है कि गत 16-17 जून की आपदा से 5-6 वर्ष पहले ही पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मौसमविदों और आम जनता ने जिस तरह के संयमित विकास का सुझाव सरकार को दिया था यदि उसे अनसुना न किया जाता तो जान-माल का इतना नुकसान नहीं होता। मौसम विभाग ने भी 9-10 जून, 2013 को ही उत्तराखण्ड में एक बड़ी आपदा आने की सूचना के संकेत दे दिये थे। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि इसकी सूचना देने पर भी हजारों यात्रियों को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री व बद्रीनाथ जाने दिया गया था। माउन्टेन कलेक्टिव द्वारा उत्तराखण्ड में आपदा प्रभावित दलितों की आवाज नामक रिपोर्ट में बताया है कि एक ओर तो आपदा सभी के लिए बुरे दिन लेकर आती है वहीं दूसरी ओर आपदा राहत-वितरण में दलित समाज को जाति का दंश भी झेलना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रुद्रप्रयाग जिले के डमार गाँव की अनुसूचित जाति के परिवारों को जब सरकार ने पास के गाँव के सुरक्षित घरों में पहुँचाया तो उन्हें वहाँ पर खाना बनाने के लिए आग तक नहीं जलाने दी गयी। इसके अलावा उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिला है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित चन्द्रापुरी गाँव की दलित बस्ती को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए भी प्रशासन से लगातार गुहार करनी पड़ रही है।

गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ में आनेवाले तीर्थयात्रियों पर मौसम का भारी प्रभाव इस बार भी देखने को मिल रहा है। खतरनाक सड़कों और खराब मौसम के चलते

सैकड़ों तीर्थयात्री बीच-बीच में गाड़ियों में ही सोने हेतु मजबूर हो रहे हैं। जहाँ जून 2013 में लगभग ढाई लाख यात्री गंगोत्री-यमुनोत्री आये थे वहीं अब केवल 35 हजार यात्री ही यहाँ पहुँचे हैं जिसके कारण लगभग 20 हजार से अधिक लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है।

गौरतलब है इन घटनाओं के लिए जलवायु परिवर्तन को सरलता से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन यह भी सोचें कि इस तरह के जलवायु संकट को बढ़ानेवाले कारक कौन से हैं? इनका पता लगाने के बाद ही आपदा को कम किया जा सकता है। दुख इस बात का भी है कि आपदा प्रबंधन तंत्र समाज के प्रति उतना जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी व पुलिस अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाल रखी है। समाज के साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूत व जवाबदेह आपदा नीति की भी आवश्यकता है।

जो भी आपदा की गुंजाइश या स्थिति पैदा करता है उसे तो दोषी ठहराना ही होगा। इसका एक उदाहरण पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ व्यास नदी पर लारजी बिजली परियोजना बाँध से बिना चेतावनी दिए छोड़े गये पानी के कारण 24 छात्राएँ-छात्र बह गये थे। यह एक भीषण मानवजनित आपदा थी। हमें सोचना होगा कि बाढ़, अतिवृष्टि, बर्फबारी, भूस्खलन की घटनाएँ पहले भी होती थीं लेकिन अब जो प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं उन पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इस दिशा में राज्यों का ध्यान जाना चाहिए और केन्द्र को भी नदियों व पर्वतों में चाहे वे हिमालय क्षेत्र हों या मैदानों में दोनों स्थितियों में बसी हुई आबादी की सुरक्षा के उपाय भी ढूँढने होंगे। सवाल उठता है उत्तराखण्ड के जखन्याली नौताड़ और पुणे के मालिण गाँव की घटना का दोषी किसे माना जाय? जो लोग प्रकृति संहारक विकास के विरोधी हैं उनके अनुसार तो यह मानव जनित आपदा है। लेकिन जिन्हें सुरक्षा के उपाय पहले से कर देने थे वे तो इसे प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे। विकास के नाम पर पहाड़ों की कंदराओं में बसे हुए गाँव आज तबाही के कगार पर खड़े हैं। इन दो घटनाओं ने तो हमें कम से कम यही संदेश दिया है। (सप्रेस)

विश्व-प्रेरणा गांधी

गांधी! तू आज विश्व की एक शान बन गया
..... जिसको लगी हवा तेरी, इनसान बन गया

❑ मानसिंह रावत

संसार की मानव आबादी आज अरबों पहुँच गयी है, यही मानवता की भारी कमी है, इसीलिए सर्वत्र त्राहि-त्राहि है।

संसार में महापुरुष ही नहीं दैवीय गुण सम्पन्न अवतार पुरुष भी हुए हैं मगर वे हम साधारण मनुष्यों की पहुँच से बाहर हैं। उनकी हम पूजा कर सकते हैं। उनके जीवन की नकल हम भी अपना सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। गांधीजी मोहनदास करमचन्द्र गांधी का जीवन हर मनुष्य के लिए इतना सरल व प्रेरणादाई है कि हर आस्थावान मनुष्य जो जिस स्थिति, जिस उम्र में भी हो वह गांधीजी से कुछ न कुछ सीख कर अपना जीवन धन्य बना सकता है।

दीवान के लड़के होते हुए भी गरीबी देखी व समझी है। गुरुजी ने बताया था कि नकल नहीं करनी चाहिए तो उसका दृढ़ता से पालन किया। हरिश्चन्द्र नाटक से सत्यता का महत्त्व और श्रवण कुमार के जीवन से माता-पिता की सेवा का महत्त्व समझा और उसके दृढ़व्रती बन गये। दृढ़ता इतनी कि अफ्रीका में गये जीविका कमाने की बात छोड़कर अन्याय के प्रतिकार पर जुट गये। चम्पारण में पीढ़ियों से जन-जन को कपड़ा दे रहा चर्खा मैनचेस्टर की मशीनों के पेट में समा जाने से कपड़ा खरीदने अयोग्य महिलाओं की दशा देख चर्खे का पुनरूद्धार कर स्वयं लंगोटी पहिनकर देश को 'खादी' की पहचान दिलाई। 'नमक सत्याग्रह' 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' की बातें सुनते ही साधारण जन तो रहे ही विद्वान और वैज्ञानिक भी हँसते थे, लेकिन उस दृढ़वर्ती की इस जनजागृति के जादू ने पुलिस, जेलर, कप्तान और दूर बैठे इंग्लैण्ड की राजशाही को भी अवाक बना दिया।

उसकी आत्मा शुद्ध, सोच में दूरदर्शिता और दृष्टि भारतीय थी। उन्होंने पहचाना कि समस्त बुराइयों की जड़ भारतीय समाज को खोखला कर रही शराब आदि नशा, देश का प्रमुख शत्रु है। समाज में उँच-नीच भाव, जातीय और साम्प्रदायिक भेद दूसरा शत्रु है। दया, ममता, प्रेम, त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति हमारी मातृशक्ति की उपेक्षा, देश की खुशहाली की ये तीन प्रमुख रोड़े हैं। इन्हें हटाये बिना स्वराज्य का सपना साकार कैसे हो सकता है!

भारतीय के पारखी उस महापुरुष को हमने विदा कर केवल उनकी फोटो का अपने हित साधन के लिए प्रयोग कर उनकी शिक्षाएँ परीलोक की कथाएँ बना दी हैं।

अभी भी समय है, राष्ट्र संघ उनकी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है, हम भारतवासी इतने वर्षों की ठोकरों के बाद ही सही उनकी मूल सिखावन पर ध्यान दें। ❑

गांधी-विनोबा की राह पर

(कारागार में 'अहिंसा-सत्य' का सफल प्रयोग)

❑ सुरेश भाई, सर्वोदयी

यह एक ऐसे नवजवान की कहानी है, जिसने रामायण-गीता के प्रचलित आधे-अधूरे ज्ञान पर हिंसा की राह अपना कर हत्या करना सीखा। गांधी-विनोबा की शिक्षाओं ने उसे अहिंसा की राह पर ला दिया। इसकी आप-बीती कहानी सही मायने में हिंसा से अहिंसा की तरफ यानी 'अंधेरे से उजाले की तरफ लौटने की अनोखी दास्तान है।' उसके कथनानुसार ''मैंने बचपन से ईश्वर/भगवान् को देखा नहीं, जाना नहीं और विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते बिना प्रमाण के कुछ माना भी नहीं। हालाँकि, मेरा बचपन गीता-रामायण के धार्मिक वातावरण में बीता। घर में रोजाना शाम को रामायण का वाचन होता था। मेरे माता-पिता सदाचार-प्रेमी और दुराचार के प्रति बड़े कठोर थे। मुझे भी दुराचार के प्रति सख्त नफरत थी। भगवान् राम ने बालि का बध किया था। इससे प्रेरणा लेकर, व्यभिचारी व्यक्ति की हत्या करने को प्रोत्साहन मिला। उन्हीं दिनों मनोज कुमार की फिल्म 'शहीद' देखकर, मन में संकल्प बना कि अमर शहीदों के क्रान्तिकारी रास्ते से समाज व देश का अन्याय मिटाया जाये। फिल्म में क्रान्तिकारियों ने 'काकोरी काण्ड' ट्रेन डकैती भी की थी। उसी से प्रेरणा लेकर देश की सेवा की खातिर अन्याय से धन जमा करनेवालों का धन लूटा, डकैतियाँ डालीं। लेकिन डकैती डालते वक्त हमारी यह कोशिश रही कि स्त्रियों, बच्चों व बुजुर्गों के साथ बदसलूकी न हो। कभी-कभी कड़ा हिंसक प्रतिरोध हुआ तो अनायास हत्यायें भी हुयीं। पुलिस की सरगर्मी बढ़ी और मेरी गिरफ्तारी हुई, जेल जाने पर संगीन जुर्म का आरोपी देख इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मेरी जमानत खारिज कर दी। फिर जेल से फरार होकर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की तर्ज पर 'आजाद हिन्द फौज' की तरह सशस्त्र संगठन बनाने में जुटा। तभी अचानक मेरी दूसरी बार गिरफ्तारी हो गयी। लम्बी पूछताछ के बाद पुलिस ने मुझे फिर से जेल भेज दिया। फिर जेल से फरार होने की तैयारी में लगा। लेकिन अचानक मुझे गांधी जी का अमृत वाक्य : 'ईश्वर सत्य है या नहीं, मैं दावा नहीं करता। लेकिन सत्य जरूर ईश्वर है।' लियो-टॉलस्टॉय का वचन : 'प्रेम करो, शत्रु से प्रेम करो, देश के शत्रु से भी प्रेम करो। बदला कभी मत लो।' इन कथनों ने मेरी जिन्दगी में उजाला ला दिया। मैंने सत्य की तलाश में गांधीजी का साहित्य पढ़ा तो जेल से फरार होने का इरादा छोड़कर जेल जीवन में ही 'सत्य अहिंसा' के प्रयोग आजमाना शुरू किया। 'सत्य अहिंसा' के धुन में अदालत में भी सत्य बोलने का दृढ़ निश्चय लिया और बगैर किसी निजी वकील की मदद, सत्यरूपी ईश्वर पर भरोसा करके सच-सच बयान देकर मुकदमों का फैसला सुनने का साहस जुटाया और उसके सुखद परिणामों के रूप में जेल, पुलिस प्रशासन की नजरों में विश्वसनीयता बढ़ी और सुरक्षार्थ 10 वर्षीय एकान्त कोठरी का जीवन व पैरों में लोहे की बेड़ियाँ तथा जेल के अन्दर ही मुकदमों की सुनवाई का ताम-झाम समाप्त होकर, खुली अदालतों में मेरे मुकदमों की सुनवाई हुई और अदालत में माननीय न्यायाधीशों ने भी हत्या, डकैती जैसे संगीन मामलों में नरम रवैया अपना कर मुझे फाँसी की सजा के बजाय आजीवन और कम-से-कम सजाएँ देकर तथा कई मुकदमों में बेदाग बरी करके, मुझे जेल से मुक्त किये जाने का रास्ता आसान कर दिया। जेल से 21 वर्ष 10 माह बाद मुक्त होने के समय जेल अधीक्षक महोदय ने भी गहरी आत्मीयता के भावपूर्ण उद्‌गारों से मेरे अलावा मेरे सभी स्वजन मित्र आत्मविभोर हुए। कारागार के मुख्यद्वार पर मेरे स्वजनों के अलावा सर्वोदय समाज से संबंध जोड़नेवाले वयोवृद्ध पूर्व प्राचार्य पू0 विद्यार्थीजी अशक्त होने के बावजूद मुझे दर्शन व आशीर्वाद देने के लिए पधारे।

दिनांक 09 मार्च 1999 को जिला कारागार हमीरपुर (उ0प्र0) से रिहा होने के बाद, मैंने अपने जन्मस्थान ग्राम-सूपा, जिला-महोबा (उ0प्र0) जाने के बजाया मेरे मन-बुद्धि में ''सत्य ही ईश्वर है'' का अमृत-विचार जमानेवाले पू0 बापूजी के सर्वोदयी परिजनों के दर्शन करने तथा सर्वोदय तीर्थरूप 'बापू-कुटी' (सेवाग्राम) तथा 'ब्रह्म विद्या मन्दिर' पवनार आदि पावन स्थलों की मिट्‌टी को प्रणाम करने की प्राथमिकता दी। देश के विभिन्न सेवा क्षेत्रों में लगे महापुरुषों के दर्शन करते हुए अपने अज्ञानतिमिर के धुंध साफ करने में लगा। भारतभूमि की यात्राओं के बीच आठ-दस वर्षों पहले, मेरे एक छोटे भाई नरेशचन्द्र ने मुझे फोन से खबर दी कि पुलिस ने मेरी आपराधिक रिकार्ड की 'हिस्ट्रीसीट' निरस्त कर दी है। यह खबर भी मुझे सत्य प्रेमरूपी परमेश्वर पर निष्ठा रखकर उसको पाने के लिए अहिंसा के साधनों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन का अंग बना लेने पर अनायास ही मुझे ईश्वर का प्रसाद मिल गया। इसी तरह मुझे अपनी निरन्तर यथाशक्य 'अहिंसा सत्य' पर आचरण की बदौलत मुझे महसूस होता रहता है कि गांधी-विनोबा के बतलाये सत्य-अहिंसा के रास्ते से ही दुनिया में अमनचैन कायम हो सकेगा।

उपरोक्त सारी आनन्दमयी विस्मयकारी गाथा को जानने के लिए मेरे जेल जाने के पूर्व कहानी तथा जेल जीवन के दौरान चिन्तन-मनन किये मेरे लेखन कार्यों को जानना जरूरी होगा, जिसे यथाशीघ्र प्रकाशित किये जाने की तैयारी है। राष्ट्र-निर्माण में लगे कोई उत्साहित देशभक्त जन 'अहिंसा-सत्य' के मेरे अनुसंधान में महात्मा गांधी-विनोबा प्रणीत 'नयी तालीम' पर आधारित 'सर्वोदयी समाज' की स्थापना में किसी प्रकार के सहयोगी बनकर नया कुछ करना चाहते हैं तो मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ आह्वान करता हूँ। ❑

उदररोग मंदाग्नि से होते हैं

रोगनिदान एवं चिकित्सा

डॉ. विनायकराव बी. मोरे

हमारे पास उदर रोग की शिकायत लेकर जब मरीज आते हैं, तब बहुत से मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब, पेट गुब्बारा हो गया है, भारी-भारी लगता है, कब्ज जैसा है, खट्टी डकारें आती हैं तो कभी-कभी बार-बार मरोड़ के साथ मल प्रवृत्ति होती है। तो कुछ मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब, भूख तो लगती ही नहीं। पेट में बायीं और दायीं पसली के नीचे दर्द होता है। हड्डियों में बुखार है। ताकत इतना नहीं है कि काम किया जा सके। कृपया कुछ कीजिए कि मैं अच्छा-भल हो जाऊँ।

ऐसे मरीजों के रोग का निदान करके उनको स्वस्थ करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। हमारा पेट एक जादू का पिटारा है। इसमें दायीं ओर पसली के नीचे हमारा यकृत यानी कि लीवर है। इसी तरह दायाँ वृक्क है। बायीं बाजू प्लीहा-तिल्ली तथा बायाँ वृक्क है। इसके अलावा बड़ी आँतें, छोटी आँतें, मूत्राशय, पित्ताशय, स्वादुपींड, क्लोम तथा स्त्रियों में गर्भाशय जैसे महत्त्वपूर्ण अंग हैं। ये सभी अंग शरीर का संचालन करते हैं।

आज के कम्प्यूटर के जमाने में हम इसे शरीर का साफ्टवेयर सिस्टम कह सकते हैं जिस तरह कम्प्यूटर का साफ्टवेयर बिगड़ने से कम्प्यूटर बेकार हो जाता है, उसी तरह हमारे पेट का यह सिस्टम बिगड़ने से कई प्रकार की व्याधियाँ जन्म ले लेती हैं।

आयुर्वेद में तो स्पष्ट कहा गया है कि जठराग्नि मंद होने से या नष्ट होने से सभी रोग होते हैं। इसमें भी उदररोग मंदाग्नि से ही होते हैं। जठराग्नि मंद होने से वात-पित्त-कफ तीनों दोष दूषित होने से उदर रोग होते हैं। अजीर्ण से, बासी भोजन, मलिन भोजन, सड़ा हुआ भोजन करने से मल संचय होने से दोष प्रकुपित होकर यह उदर रोग होते हैं।

जब हम स्वस्थवृत्त के नियमों को तोड़कर प्रज्ञापराध करते हैं, तभी वातादिदोष के प्रकोप से नाना प्रकार के रोग होते हैं जो जानलेवा होते हैं। हम समझ-बूझकर रात्रि-जागरण, पीज्जा-बर्गर, चायनीज फूड, मैदे की चीजें, माँसाहार, तम्बाखू, शराब आदि तथा अति खट्टा-तीखा कैमिकलवाला आहार एवं पालक-पनीर, फ्रूट-सलाद जैसा विरूद्ध आहार का सेवन करके उदर रोगों को न्यौता देते हैं।

ऐसा भी होता है कि हम अपने स्वास्थ्य का सम्पूर्ण ध्यान रखते हैं तो भी बीमारी के वक्त कभी-कभार एलोपैथी के डॉक्टर के पास चिकित्सार्थ जाना पड़ता है। उस वक्त दी गयी ज्वरनाशक एवं पीड़ानाशक, पैरासिटामोल, निमेसुलाइड, ब्रुफेन, डायक्लोफेनेक सोडियम जैसी दवाइयाँ भी उदर रोग करती हैं और यकृत प्लीहा एवं गुर्दे विकृत करती हैं। ऐलोपैथी की अमॉक्सीसिलीन, सिप्लॉक्स, नॉरफ्लॉक्स, सेफोडोक्सिन आदि सभी एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी खतरे से कम नहीं।

शरीर में रहनेवाले वातादिक त्रिदोष स्वेदवाही और उद्कवाही स्रोतों को रूँधकर प्रकुपित होते हैं और प्राणवायु-जठराग्नि एवं अपानवायु को अत्यन्त दूषित करके उदररोग उत्पन्न करते हैं।

सभी मिलाकर आठ प्रकार के उदररोग हैं। वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, क्षयोदर, जलोदर और प्लीहोदर। प्लीहोदर और यकृदाल्योदर दोनों के निदान एवं चिकित्सा एक समान होने से प्लीहा और यकृत दोनों मिलाकर एक ही समझना है।

हम इस लेख में प्लीहोदर और यकृदाल्योदर के विषय में चर्चा करेंगे।

शरीर में दाह-जलन करनेवाले विदाही भोजन बारम्बार खाने से–स्रोतावरोध करनेवाले, दही जैसे कफकारक भोजन करने से, सेवन करने वाले के विकारयुक्त रक्त और कफ की वृद्धि होने से प्लीहा की भी वृद्धि होती है यानी कि प्लीहा बड़ी होती है। इसको प्लीहोदर कहते हैं। इस व्याधि में पेट की बायीं ओर अंतिम पसली के नीचे रही प्लीहा बढ़ती है। इससे शरीर गल जाता है। जीर्ण ज्वर (हड्डियों में बुखार) रहता है। जठराग्नि मंद हो जाती है। बल क्षीण हो जाता है। शरीर का रंग सफेद सूजी जैसा हो जाता है और कफ-पित्तोदर के लक्षण दिखते हैं। दायीं पसली के नीचे स्थित यकृत में विकृति होने से बढ़कर कठिन हो जाता है। इसे यकृदाल्युदर कहते हैं।

अगर इसमें वायु प्रधान होती है तो उदार्वत-शूल-आनाह जैसे पीड़ादायक रोग होते हैं। अगर पित्त ज्यादा है तो मोह-तृषा-ज्वर रोग होते हैं और कफ की प्रधानता से जड़त्व-अरुचि और पेट कठिन होता है।

रोग प्रतिकारक शक्ति (इम्युनिटी) कम हो जाती है। यकृत की कार्यशक्ति कमजोर हो जाती है। इसी कारण रक्त बनने की क्रिया भी ठीक से नहीं हो पाती। हिमोग्लोबिन कम हो जाता है। आमाशय (ग्रहणी) व पक्वाशय के बीच रहनेवाला पाचक पित्त-पाचकाग्नि मंद हो जाती है।

प्लीहा यानी कि तिल्ली को रक्तवाही शिराओं का मूल और यकृत को रंजक पित्त का तथा रक्त का आश्रय स्थान महर्षियों ने कहा है।

शरीर में जहाँ पर प्लीहा के विषय में कहा है, वह हमें यकृत के विषय में समझना है। भगवान चरक ने भी यकृत और प्लीहा को रक्त वहन करनेवाली शिराओं का मूल कहा है। यकृत और प्लीहा में से ही रस का रूपान्तर रक्त में होता है। यकृत और प्लीहा बिगड़ने से अनेक प्राणहर रोग होते हैं। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए।

बढ़े हुए यकृत-प्लीहा में तर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। तर्पण चिकित्सा से यकृत प्लीहा सिकुड़कर मृत हो जाते हैं। इसे सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। इसमें लापरवाही बरतने से जलोदर-ऐसाइटीस होता है।

आयुर्वेद में बायीं और दाहिनी ओर शिरावेध करने का विधान है। यह चिकित्सा अस्पताल में दाखिल होकर ही संभावित है।

मैं सन् 1964 से चिकित्सा व्यवसाय में हूँ। मैंने देखा है कि प्लीहा और यकृत के रोगों की अमूल्य जड़ी-बूटियाँ हमारे इर्द-गिर्द, खेत-खलिहान, नदी-तालाब, रेल की पटरी की दोनों तरफ आसानी से मिल जाती हैं। ये हैं–शरपोंखा, भृंगराज, पुनर्नवा, भूम्यामलकि, गिलोय, रोहितक, चित्रक, सहिजन, निर्गुण्डी, अपामार्ग, ग्वारपाठा (एलोवेरा) इत्यादि।

1. सबसे पहले रोगी की बलोबल प्रकृति देखकर एक या दो दिन के लिए लंघन यानी कि उपवास कराना चाहिए। इन दिनों में सोंठ डालकर उबाला हुआ जल ही देना चाहिए, जिससे स्थानाभ्रष्ट हुई पाचकाग्नि अपने स्थान पर आ जाएगी।

2. ग्वारपाठे का चार अंगुल जितना टुकड़ा लेकर दोनों तरफ के काँटे निकालकर छिलके सहित मिक्सर में थोड़ा-सा जल मिलाकर स्वरस निकालें और प्रातः खाली पेट थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर पीना चाहिए।

3. शरपोंखा, भृंगराज, पुनर्नवा, भूम्यामलकि चारों का समभाग लेकर स्वरस निकालकर 20 से 30 मिली, उतना ही जल मिलाकर सुबह-शाम पीना चाहिए।

4. एरण्डी के पंचांग के छोटे-छोटे टुकड़े करके मिट्टी के मटके में भरकर कपड़े मिट्टी से बंध करके ठीक तरह से जल जाए, इतना अग्नि दें। ठंडा होने पर खरल में पीसकर भस्म बना लें। सुबह-शाम तीन से चार ग्राम तक गौमूत्र के साथ लें।

5. शंख की नाभि की भस्म बनाकर अच्छी तरह से पके हुए नींबू के स्वरस के साथ मिलाकर एक तोला (10 ग्राम) प्रमाण से देने से कछुए जैसी कठिन प्लीहा व्याधि में भी लाभ होता है। इसको शंख-नाभि चूर्ण कहते हैं।

6. **लवणादियोग**- सेंधानमक तथा राजिका समभाग लेकर चूर्ण बनाकर एक से तीन ग्राम दिन में तीन बार गौमूत्र के साथ देने से आराम होता है।

7. **आरोग्यवर्धिनीवटी**- दिन में तीन बार एक-एक टिकिया दें।

8. **यकृत-प्लीहादि लोह**- भोजन के बाद एक-एक गोली दो बार दें।

9. कुमारी आसव तथा रोहितका दोनों दो-दो चम्मच समप्रमाण जल मिलकार तीन बार लेना चाहिए।

10. पुनर्नवादि क्वाथ-पुनर्नवा, देवदारु, हल्दी, कुटकी, पटोलपत्र, नीमत्वक, नागरमोथा, सोंठ और गिलोय समभाग लेकर क्वाथ बनाकर गौमूत्र और शुद्ध गुग्गुल मिलाकर पीने से यकृत-प्लीहा के सभी रोग मिटते हैं। यह क्वाथ शोथघ्न है।

11. पुनर्नवादिचूर्ण- पुनर्नवा, गिलोय, पाठा, देवदारू, बिल्व, गोखरू, दोनों कटेली, हल्दी, पीपलामूल, चित्रक–समभाग लेकर चूर्ण बनकार तीन से छः ग्राम तक गौमूत्र के साथ लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत-बहुत औषधियाँ हैं।

इसमें बतायी गयीं औषधियाँ कुशल वैद्य की सलाह से उनकी निगरानी में ही लेनी चाहिए।

परहेज का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अन्यथा रोग मिटेगा ही नहीं और अन्य उपद्रव भी होंगे।

पथ्य : मूँग की दाल, छिलके सहित मूँग, लौकी, परवल, सहिजन, मेथी, पालक, पुराने चावल, गाय-बकरी का दूध, पपीता, अनार, काली द्राक्षा, संतरा इत्यादि।

अपथ्य : मूँग के सिवा सभी द्विदल अनाज, दही, मैदा, बासी भोजन, अति खट्टा, अति तीखा, अति ठंडा भोजन, माँसाहार, रात्रि-जागरण आदि हमेशा के लिए बंद करें।

भोजन में सेंधानमक ही उपयोग करें।

औषध के साथ वज्रासन में बैठकर अनुलोम-विलोम प्राणायाम सुबह तथा शाम को पन्द्रह से बीस मिनट अवश्य करें। शुद्ध उदान प्राणवायु आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं आने देगी और आप अवश्य नीरोग होंगे। नाक से लेकर नाभि तक तथा गले में घूमनेवाली उदान वायु अवश्य लाभप्रद है, ऊर्जा, बल, कान्ति, स्मृति देनेवाली है।

–बी-7, मीरा सोसायटी, हरनीरोड, वडोदरा (गुजरात)

....पृष्ठ 13 का शेष

मौत की बात करने की। हम एक बर्बर युग के पक्ष में बातें करने लगे हैं। आज भी निर्दोषों को ही ज्यादातर पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस की अक्षमता, पूर्वाग्रह का सबसे बड़ा नमूना है–गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर कथित हमलावरों को सुप्रीमकोर्ट द्वारा बरी किया जाना। उस हमले के समय समूचे देश में सरकार एवं शासन के गुण गाये गये थे। पर अब कोई चूँ करनेवाला नहीं है। फिर वैसी ही बातें दुहरायी जा रही हैं।

देशभक्ति एक आंतरिक एवं निजी भावना है। इसका हिसाब-किताब का जिम्मा दूसरों को दिया नहीं जा सकता। यह निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। इराक पर अमेरिका का हमला हुआ तो अमरीकी हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क में 10 लाख लोगों ने जमा होकर प्रतिवाद किया। हमारे तथाकथित 'देशभक्तों' के फार्मूले से उन्हें देशद्रोही घोषित कर सरेआम फाँसी पर लटका देना चाहिए। क्या इस विचार को मान्य किया जा सकता है या करना संभव व उचित है! ❑

सर्वोदय बुक स्टाल बैठक संपन्न

विगत वर्षों की तरह इस बार भी 28 फरवरी, 2016 को सर्वोदय बुक स्टाल व्यवस्थापकों की वार्षिक बैठक सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष महादेव विद्रोही एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रबंधक ट्रस्टी टी.आर.एन. प्रभु शामिल हुए।

बैठक का प्रारम्भ बिनू भाई अमीन की प्रार्थना व गीत से हुआ। इसके बाद व्यवस्थापकों के दिवंगत परिजनों को मौन श्रद्धांजलि दी गयी। तत्पश्चात प्रकाशन के संयोजक **अरविंद अंजुम** ने अतिथियों, व्यवस्थापकों एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि देशभर के 62 स्टेशनों पर 67 बुक स्टाल प्रकाशन द्वारा संचालित हैं जिनमें 49 स्टालों का यहाँ प्रतिनिधित्व हुआ है। 18 स्टाल व्यवस्थापक अनुपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता ठप तथा नगण्य बिक्री करनेवाले स्टालों को सक्रिय करने की है।

व्यवस्थापकों को सम्बोधित करते हुए सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष **महादेव विद्रोही** ने कहा कि प्रकाशन को स्थायित्व देने व विकसित करने के लिए ठोस योजनाएँ बनायी गयी हैं। उन्होंने व्यवस्थापकों को जानकारी दी कि वर्ष 2017 में पूरे देश में **चंपारण सत्याग्रह** का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इस संदर्भ में कई पुस्तकों के प्रकाशन की योजना पर काम चल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक का संक्षिप्त व संपूर्ण संस्करण छापने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा पॉकेट बुक के रूप में 50 वर्ष पहले छपी पुस्तकों में समकालीन संदर्भ की उपयोगी पुस्तकों यथा– टॉलसटॉय लिखित 'यह कैसा अंधेर', सतीश कुमार की 'द्वीपों के पार', आचार्य राममूर्ति की 'गाँव का विद्रोह', विनोबा की 'उगते तारे खिलते फूल' आदि छापने का प्रस्ताव है।

जे.पी. की भारत में राष्ट्र निर्माण की दो किताबें (हिन्दी व अंग्रेजी) तथा Inside Lahore Fort का संस्करण 'लाहौर के किले में' भी छापा जाएगा। सतीश कुमार की 'बिना पैसे पैदल दुनिया का सफर' गांधी क्विज (अंग्रेजी), गांधी सुक्तियाँ (अंग्रेजी), बापू कथा (अंग्रेजी) तथा महात्मा गांधी के बारे में विश्वभर में महान लोगों के विचार (अंग्रेजी) सम्बन्धी पुस्तकें भी छपेंगी। 2019 को ध्यान में रखकर विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों, कवियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों द्वारा गांधीजी के बारे में व्यक्त विचारों का संग्रह (एंथोलॉजी) प्रकाशन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस तरह लगभग 2 दर्जन किताबें छपेंगी।

उन्होंने चंपारण सत्याग्रह एवं गांधीजी की 2019 में 150वीं जयंती पर सभी का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि हम रेल मंत्रालय से 150 स्टालों के आवंटन का अनुरोध करने जा रहे हैं। श्री विद्रोही ने व्यवस्थापकों से गांधी-विचार के प्रचार-प्रसार को तेज करने तथा इस विचार को आत्मसात करने की अपील की।

प्रबंधक ट्रस्टी टी.आर.एन. प्रभु ने कहा कि संस्था अपने कायदे, तरीकों से चलती है। कोई निर्णय किसी के लिए अप्रिय हो सकता है, पर परिस्थिति के अनुसार वैसे निर्णय भी हमें लेने पड़ते हैं। परंतु यह निर्णय किसी के प्रति पूर्वाग्रह प्रेरित नहीं होता है। उन्होंने स्टाल व्यवस्थापकों से किताबें पढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि पढ़ने से उन विचारों का कुछ अंश हमारे अंदर समाहित हो जाता है और इससे हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। अगर हम किताब पढ़ेंगे तो फिर हमें किताबों से प्रेम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किताबों से प्रेम के बगैर किताबें बेचना संभवन नहीं है।

बैठक में सभी व्यवस्थापकों ने अपना परिचय दिया तथा अपनी समस्याओं व सुझावों से पदाधिकारियों को अवगत कराया।

कार्यक्रम की सफलता में प्रकाशन के कार्यकर्ता साथियों का विशेष योगदान रहा।

–**संयोजक**, सर्व सेवा संघ प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी-221001

नये बुक स्टाल हेतु आवेदन भेजें

पूर्व रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ने सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी को 'सर्वोदय बुक स्टाल' खोलने हेतु 8 स्टेशनों पर जगह स्वीकृत किया है। ये स्टेशन निम्न हैं–

सियालदह मंडल–1. डायमंड हार्बर, 2. बारुईपुर, 3. बेरकपुर, 4. बारासात।

आसनसोल मंडल–1. वैद्यनाथ धाम, 2. मधुपुर, 3. रानीगंज, 4. पानागढ़।

आवेदनः बुक स्टाल हेतु गांधी-विचार से प्रेरित इच्छुक व्यक्ति मई, 2016 के अंदर कार्यालय के पते पर आवेदन कर सकते हैं।

प्राथमिकता : स्थानीय भाषा-भाषी को प्राथमिकता दी जायेगी।

–**संयोजक**, सर्व सेवा संघा प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी-221001

बा की समत्व-वृत्ति

"अब मुझे यहाँ आना बंद करना है। कितने ही जेलों में पड़े हैं। उनमें से कितने ही बीमार हों तो उनसे कौन मिल सकता है? मुझे बहुत बार रामदास की चिंता होती है, बापू की होती है फिर खयाल होता है कि हजारों लड़कों की माताएँ और पत्नियाँ किस तरह चिंता करती होंगी? सबकी रक्षा करनेवाला ईश्वर है।" –बा

(महादेव भाई की डायरी, भाग-२, पृष्ठ-११)

कस्तूरबा की पुण्यतिथि

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी (बा) की पुण्यतिथि 22 फरवरी को श्रद्धा भाव से गांधी स्मारक भवन, सेक्टर-16 चण्डीगढ़ में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता के.के.शारदा, अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी एसोसिएशन ने की। कार्यक्रम का संचालन कवयित्री डॉ. दलजीत कौर ने किया। आरम्भ में पुनिता बावा और कंचन त्यागी ने गांधीजी का प्रिय भजन 'वैष्णव जन' प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिपूर्ण बना दिया।

गांधी स्मारक भवन के निदेशक डॉ. देवराज त्यागी ने कस्तूरबा गांधी के जीवन पर जानकारी देते हुए बताया कि कस्तूरबाजी ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान कई बार जेलयात्रा की और अन्तिम श्वास भी जेल में ही लिया। बापू का सारा जीवन साधनामय था, जिसमें बा का सदैव साथ रहा। बापू के ऐतिहासिक कार्यों में बा का जो हिस्सा रहा, उसका स्मरण भारत सदैव करता रहेगा। वे भारत की जनता की माता थीं तथा माता की तरह ही सब भारतीयों की सदैव चिन्ता करती थीं। डॉ. मीना शर्मा ने भी कस्तूरबा गांधी के व्यक्तित्व पर विचार रखा।

अध्यक्षीय भाषण में के.के.शारदा ने कहा कि प्रतिवर्ष कस्तूरबा गांधीजी की पुण्यतिथि मातृ दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी को कस्तूरबा गांधी जैसी शख्सियतों से परिचित कराना है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम विज ने धन्यवाद प्रस्तुत किया।

–देवराज त्यागी

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए महामंत्री, शेख हुसैन द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा सुरभि प्रिन्टर्स, इंडियन प्रेस कॉलोनी, मलदहिया, वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार। छपी प्रतियाँ : 1450